from the State Government is received. Since the proposed Bill covers most of the problems of older persons, as highlighted by the hon. Members, I request the hon. Member of Parliament, Dr. Karan Singh, to kindly withdraw the Bill. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Dr. Karan Singh, are you withdrawing the Bill or shall I put the motion to vote?

DR. KARAN SINGH: (NCT of Delhi): Sir, can I speak for two minutes?

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Okay.

DR. KARAN SINGH: Sir, we had a very positive debate on this Bill in the last session. It received widespread support from all sections of the House and after that, I got a large number of letters from people around the country who felt very enthused and encouraged that Parliament was considering this because the National Rural Employment Scheme will help the young. The old also represent around six per cent of our population.

The Minister, in her reply, has assured that the Government is seized of the matter, and will itself come forward with a legislation and encourage the State Governments. I would urge that, first of all, there should be some time limit, whereby the State Governments reply because, sometimes, the matter gets prolonged. Secondly, apart from the State legislation, I do feel that some Central legislation is required. But in view of the assurance given by the Minister, I seek permission to withdraw the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Has Dr. Karan Singh leave of the House to withdraw the Bill?

*The Bill was, by leave, withdrawn.*

**The Salary, Allowances and Pension of members of Parliament (Amendment) Bill, 2004**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): The time allotted for this Bill is two hours. Shri Lalit Suri.

SHRI LALIT SURI (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a very simple and short Bill. As mentioned in the Statement of Objects and

**3.00 P.M.**

Reasons, it seeks to remove the unreasonableness relating to the provisions of family pension, as laid down in section 8A(1A) of the Principal Act.

It also seeks to raise the present maximum limit of conveyance advance of Rs. one lakh allowed w.e.f. 26.12.1985 to the Members of Parliament under section 8B of the Act, *ibid,* to Rs. four lakh so as to enable the Members to the purchase a new convenance .commensurate with their status.

The exiting provisions of family pension suffer from three major shortcomings namely that the pension is admissible only when the Member dies during his tenure (ii) that pension is admissible only for a period of five years and that the pension is admissibla a only at a fixed rate of Rs. 1500/- p.m. All the three anomalous situations are required to be removed. It is pertinat to mention here that whereas the pension for the Members of Parliament came into force w.e.f. 9.9.1976 the provision for family pension was added w.e.f. 20.8.1998. Even at that late stage the above mentioned three unreasonable and arbitary provisions were applied. The monetary limit fixed then was Rs.1000/-per month which has since been revised to Rs.1500/-per month w.e.f. 9.1.2004. At the time of latest amendment to the provision with regard to pension including family pension, my Bill on the subject had been introduced which lapsed on the completion of my previous term of Membership of the House. It is rather strange that nobody took cognizance thereof while amending the provision w.e.f. 9.1.2004.

It is a well-established principle relating to family pension that the length of the period for which a person whether employee, bureaucrat or a Member of a Legislature, has served the State, has to be taken into consideration while calculating the pension. Why has this rule not been applied in case of family pension , which has also been limited to a fixed period, and that too , at a fixed rate , is difficult to be understood? The fallacious position in this regards is amply proved by the following two cases.

1. Sardar Gurcharan singh Tohra died a couple of days before the expiring of his term of the Rajya Sabha in April, 2004 after serving Parliament for more than 23 years. A retired Member of Parliament is entiled to a minimum pension of Rs. 3000/- per month. For evey year in

excess of five years, he is entiled to Rs. 600/- per month. Accordingly, Shri Tohra would have been entiled to receive a pension of Rs. 13,800/-per month { Rs.3000/- plus Rs. 10,800/-, (that is , Rs.600/- per year for 18 years)} in case of retirement in April, 2004, though he had been elected for another term of six years. His spouse is now entitled to a pension of Rs. 1500/- per month for a period of five years only. In case Shri Tohra would have died after the completion of his term and before taking oath for the next term, the spouse would not have been entiled to any pension under the existing law. Dr.Abrar Ahmed who died in April, 2004, after having served for over eight years, would have been entiled to a pension of Rs. 4800/- (Rs.3000/- plus Rs.1800/-) for additional three years in excess of five years @ Rs.600/- per year) in the event of his having resigned from the Membership on the date of his death. His spouse is also entiled to have a pension of Rs. 15,00/- that too for a period of five years.

It is accordingly pertinent, reasonable and logical that the family pension provision should take all the relevant aspects such as the length of service rendered by the deceased Member etc. into consideration. For the spouse, the pension should be for life, and in case of dependents till the dependency lasts according to law. The entilement for family pension should be in both the cases of death whether it occurs during the tenure of membership or after retirement. It is also pertinent to mention that in the cases of both the President and Vice-President, the provision for family pension is that the spouse is entiled to fifty percent of the pension to which the president / Vice- President would be entiled to.

In the Bill under consideration, suitable provision for family pension have been proposed.

Section 8B about the entilement of conveyance advance is proposed to be amended to provide for an advance to a maximum limit of Rs. Four lakh for the existing provision of Rs. one lakh (introduced with effect from 26.12.1985 )so as to enable a Member seeking this advance to purchase a new vehicle in accordance with his status and dignity.

**In the light of submissions made , the Bill may be considered. *The question was proposed.***

SHRI V. NARAYANASAMY ( Pondicherry): Sir, the hon. Member, Shri, Lalit Suri, has brought this Bill to further amend the Salary,

Allowances and Pension of Member of Parliament Act, 1954. The provisions which have been brought by the hon. Member are (i) an. increase in the family pension, making it on a par with the Government servants and an increase in conveyance advance provided by the Government. That is a very important provision. The first provision is more important because the reason given by him is the death of Members, and the pension that their wife is getting is only for five years. Thereafter, the family is not able to get the pension amount.

Sir, I now refer to the wider aspect of amenities and facilities that are provided to the Members of Parliament and also to the retired Members compared to other countries and also compared to sometimes some of the legislature because some Members of Parliament who come from State Legislatures, know the benefits the Members Parliament and the ex- Members in other countries are enjoying. We have to make a comparison.

Sir, let me refer to the facilities provided to the Members of Parliament in the United States of America, the U.K., France in some of the European Countries and the Asian Countries. Then I will refer to the facilities provided to the ex- Members. Sir, we have been to the United States of America. We have been able to meet the Senators there. They have got a well established office in their Constituency. In the Parliament premises they have been provided with a full fledged office. When we went to the United States and met the Senators we found that they had got a staff strength of more than twelve. They have been provided with a full-fledged office. Therefore, they are able to do their duty very effectively and efficiently. *(Interruptions)* Some Parliaments are working 200 days. In India we are working minimum six months. *{Interruptions)...* Now we are working 65 to 75 days. Previously, it was hundred days. Now it has been reduced. We are working in the Standing Committees also. One should know the kind of work that the Members of Parliament, especially, from the Lok Sabha, are doing. In India, every Parliament constituency has a minimum of 12 lakh to 30 lakh voters. Sir, you are coming from Kerala. You had been a Member of Parliament for six terms in the Lok Sabha. *...(Interruptions)...* He has won the election six times. Therefore, I mentioned six. Sir you know how your constituency people are approaching you. Unfortunately, the work that a Member of the Legislative Assembly has to do and the work that a

Member of Parliament has to do is not being distinguished by the people. Even for the work that has to be done by the Member of the Legislative Assembly, they come to the Member of Parliament. The Member of Parliament has to entertain them. The question is whether the infrastructure provided to the Members of Parliament is adequate. Let us ask this question. Unless and until the child cries, he will not get the milk. Initially, I was also thinking like Shri Dipankar Mukherjee and other senior Members of the Left Party that the Members of Parliament could not raise their own issues. Unless and until we raise the issues that such facilities should be provided to the Members, it will not be heard by the Government. Let us be very frank about it. The newspapers are writing and a lot of columns are coming in the newspapers that the Members of Parliament want to raise their allowances and salaries, but they are forgetting inflation. The salaries and allowances which are provided to the Members—I am in Rajya Sabha; when people come from my State, I have to do the work for them; I have to give them even monetary help—are nothing. When we are living in Delhi, they make deductions for the amenities which we are enjoying. One-fourth of it goes for it. With the remaining amount, it is very difficult for any Member of Parliament to sustain himself, if he is very honest. Let me make it very clear. If he is very honest and sincere to his job, it is very difficult for him. If you want a Member of Parliament to participate in the proceedings fully, he should have a full-fledged office. He should have definitely a full-fledged office. We are not like Shri Jairam Ramesh who is having a computer and works on it. We should have our own staff. We should have assistance of the staff. *...(Interruptions)...* Sir, it is a very serious thing. The hon. Minister of State for Parliamentary Affairs is sitting here. He knows the problem of the Members of Parliament.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Narayanasamy, you can also use the computer. Nobody is preventing you.

SHRI V. NARAYANASAMY: We can use the computer. But Members of Parliament are basically political people. We don't have time. Let us make it very clear. We have to devote our time to the constituency. We have our political work in our constituency. We have to survive in politics. Let me make it very clear. We have to survive in politics. We don't come from heaven. We come here with the support of the people. Therfore, they need a full-fledged secretariat. Let me quote the example of

Karnataka. Hon. Madam is coming from Karnataka. Members of Parliament from Karnataka are provided an office by the State Government. They have been given the rank of Deputy Minister by the State Government. Apart from that, they have been provided with a vehicle. They use the vehicle for the purpose of going round their constituency and to meet the people. Such a provision is being made there. They have been provided with infrastructure in the State. Therefore, Members of Parliament should have a full-fledged office in Delhi. A provision should be made to that effect. When people from constituencies come to their house in Delhi, they lose their privacy also. Therefore, in their constituencies, the Members of Parliament have to be provided with a full-fledged office and other facilities, for which a provision has to be made either by the Central Government or by the State Government. What we are given now for any letters or correspondence is a mere franking charge of Rs.1,000. Apart from that, whatever money that has been provided to Members of Parliament is very minimal as compared to the MPs of the House of Commons in the U.K. I am not even taking the case of developed countries. This is true even in the case of developing countries in the Asian region, like, Malaysia. In other countries, the Government does not give Members of Parliament adequate support. Let me make it very clear. When I was talking to some of my friends,—Shri R.K. Anand may correct me—Rs. 12,000 is the pension given to a retired Member of the Legislative Assembly in Jharkhand. But, as Shri Lalit Suri mentioned, a Member of Parliament gets a pension of Rs. 3,000 only, that too, when they complete their full term. Apart from other facilities, we need to be provided with office facilities, staff, etc. These are all very important things, and though we cannot compare ourselves with developed countries, sufficient infrastructure has to be created for Members of Parliament to do their parliamentary work effectively. This is the minimum requirement which needs to be given to them. Some Members may not agree with me because they have their own perception of it, or, they may have their own support. I am talking about a majority of Members of Parliament; I am not talking exclusively about 10 per cent of Members of Parliament, but I am talking about 90 per cent Members of Parliament. I say this because when we look at the kind of privileges, the rights and facilities which Members of Parliament are enjoying in other countries, why are these not given in India? I am sure that the hon. Minister would agree with me that Members of Parliament ought to be given more

benefits and better facilities. Several times they do amend the Bill and bring minor amendments saying that the pension is increased by Rs. 500 or that the daily allowance is increased by Rs. 50 or they increase the telephone allowance from Rs. 75,000 to Rs. 80,000. But these are only small time adjustments given to Members of Parliament. I request the Minister of Parliamentary Affairs to call a meeting of the leaders of various political parties,—I am saying about the recognised political parties-and get their views because they will be able to give the feedback from Members of Parliament belonging to their parties, and then you make a study and find out what the facilities provided now are, whether these are sufficient or not, and see how you can enhance the facilities given to Members of Parliament. I am not only going into monetary aspects: I am going into all other aspects, especially, the infrastructure support to be provided to them. Now, day in, day out, you say that Members of Parliament are corrupt, as if the bureaucrats are not corrupt. The image of the politicians is being tarnished. This is happening only because of the kind of monetary support that is given to them. In England, Members of Parliament get 16,000 pounds, if you calculate their overall entitlements. Therefore, I would like to submit to the hon. Minister that he needs to bring in a comprehensive Bill, as the Bill that Shri Lalit Suri has brought in is only a simple Bill covering salary, pension or loans for Members of Parliament. The hon. Minister knows the other needs of Members. He is regularly talking to them. The hon. Minister for Parliamentary Affairs, Shri Ghulam Nabi Azad, also is concerned about Members' amenities. Let us think about it cutting across party lines. Let us not bother about some of the criticism that is coming. Criticism will come. Even if you do a good job, there will be criticism. When you want the Members of Parliament to work efficiently in Parliament and participate in the proceedings, give their contribution. They should be given the facilities for the purpose of working effectively in office—whether it is in Lok Sabha or in Rajya Sabha. But the burden on Lok Sabha Members is more. I have to add this here. Some of the Members of this House come from Lok Sabha. They know the problems of people, how they approach them, how they were solving their problems and how they were finding it difficult to sustain themselves as Members of Parliament. One Lok Sabha constituency in India is spread over one district. We have to cover six or seven Assembly segments in a constituency. They have to meet the people and fulfill their wishes and aspirations. How can a Member of Parliament with these meagre facilities

go to these many segments? In one year, they have to go to their constituency, at least, six to seven times. How can they go? Have they got any facilities for that? So, let us think over it. The people who are in power today may sit in the Opposition tomorrow. And the people who are sitting in the Opposition today may be sitting on the Treasury Benches tomorrow. It is not a question of party politics. It is a question of facilities given to Members of Parliament. If you want Members of Parliaments to be above board, if you want the Members of Parliament to function effectively. Members of Parliament should be given the facilities and amenities at par with the facilities given in other countries and other States. Today, Sir, the situation is this. A Member of Parliament in India, when compared to an MLA of some of our States, is getting lesser facilities and amenities. Sir, some Members are telling me that, at least, they should be given the facilities at par with the facilities given to MLAs in some of our States. We have come to that level! The S3lary which we are getting now is Rs. 26,000. In some States, an MLA is getting more than Rs. 40,000 or Rs. 50,000! MLAs are getting more salary than a Member of Parliament! Somebody may have a different thinking. Some one may say that amount has to be cut or some amount should not be cut. It is for the House to decide, not Jayaram Ramesh. As a Member of Parliament, it is my duty to express my feelings about the facilities and amenities given to us. I request the hon. Minister to convene a meeting of all the leaders of the national political parties, get their views, come to an understanding how the facilities and amenities given to the Members of Parliament have to be increased. Shri Lalit Suri brought this Bill—the Salary, Allowance and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2004—which is before us for consideration, to amend a small provision of the Act. The Minister can consider it. The larger issue of facilities and amenities to the Members of Parliament be taken up early. At least, in this year, the Government may come out with a proposal to amend the Members (Salaries and Allowances) Act.

With these words, I support the Bill and request the hon. Minister to consider my demands. Thank you.

**श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश) :** धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। यह जो बिल आज हमारे माननीय सांसद ललित सूरी साहब ने लाया है, मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ पिछली यादें याद आ गई और उसके आधार पर मैंनें सोचा कि शायद उन यादों को इस हाऊस के सम्मानित सदस्यों के साथ शेयर कर सकूं। मैं जब वर्ष 1994 में इस हाऊस में पहली

बार इलेक्ट होकर आया था, तो मुझे भी जानकारी हुई कि कार लोन वगैरह मिलतें हैं जब मैंने पूरी जानकारी ली,तो मुझे पता लगा कि केवल एक लाख रूपए मिलते है।

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री सुरेश पचौरी) :** उस समय पचास हजार मिलते थे।

**श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश) :** सौरी, पचास हजार,उसके बाद बढ़ाया गया और उस समय मारूति कार की कीमत लगभग एक लाख चालीस हजार या एक लाख पचास हजार रूपए हुआ करती थी। मैंने जब सचिवालय के लोगों से पूछा कि आप यह पचास हजार रूपये मुझे देंगे, बाकी मैं कहां से लाऊंगा ? तो उनका कहना था कि इसका हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं हैं। आप यह लोन लेना चाहतें हैं तो ले लीजिए। अंततोगत्वा जो बकाया राशि थी लगभग 80-90 हजार रूपए की, पहले हमे उसकी व्यवस्था करनी पड़ी और उसके बाद फिर हमनें लोन के लिए एप्लाई किया। जब लोन के लिए एप्लाई किया तो एक बात और भी देखने को मिली कि जो नेशनलाइज्ड बैंक थे, उस समय उनके पास ब्याज की दर लगभग 12 प्रतिशत थी, लेंकिन सचिवालय जो 50,000 पर ब्याज की दर चार्ज करता था, वह 15 प्रतिशत थी। मुझे लगा कि यह बिल्कुल विरोधाभास है,जबकि सुविधा विपरीत होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक को जो 12 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था, उसकी तुलना में मुझे लगता था कि 15 प्रतिशत की जगह यदि सचिवालय में 7-8 प्रतिशत होता तो अच्छा रहता। लोन की राशि एक लाख रूपए तो बाद में बढ़ाई गई, लेकिन एक छोटी सी कार, सबसे छोटी कार आई थी "मारूति" और एक मैंम्बर आफ पार्लियामेंट, जिसकी पूअर बैंकग्राउंड हो, इकनॉमिक पूअर बैंकग्राउंड हो, उसके लिए उस कार को लेना भी बड़ा मुश्किल काम था। मैं समझ सकता हूं कि राज्य सभा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हालांकि लोक सभा में पिछले कुछ सालों से, लगभग 5, 6, 7 या 8 वर्षो से ऐसा हुआ है कि वहां कुछ इजाफा हुआ है इकनॉमिक भी क्राइटीरिया में कि आज वहां वही लोग चुनकर आते हैं या उनको टिकट मिलता है, जो इकनॉमिक थोड़े सुदृढ़ होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सभा में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग है, जिनकी पूअर बैकग्रांउड है, पूअर इकानॉमिक बैकग्रांउड है क्योंकि यहां पार्टी उनको टिकट देती है उनके काम केआधार पर , उनकी उपयोगिता के आधार पर। तो मुझे लगा कि एक मैम्बर आफॅ पार्लियामेंट होते हुए भी वह एक छोटी सी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। यह एक सिचुएशन थी। श्री ललित सूरी साहब ने एक लाख की जगह चार लाख की बात कही है, हालांकि चार में तो आज बहुत कारें आ रही हैं, फिर भी ये चार लाख की जगह पाचं लाख करते तो मुझे और भी खुशी होती। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इसको एक निहायत लग्जूरियस सुविधा नहीं मानता हूं, मैं इसको मैंम्बर आफ पार्लियामेंट की एक नेसेसिटी मानता हूं क्योंकि आज उसका वर्क-लोड इतना बढ़ गया है कि बिना एक कार के, चाहे आप दिल्ली में हों या अपने निर्वाचन क्षेत्र में, आपका काम नही चल सकता, चाहे वह छोटी सी ही क्यों न हों।

दूसरा एकपेंशन का मुद्दा है। उपसभाध्यक्ष जी, फेमिली पेंशन का जो कांसेप्ट हैं, एक कामॅन आदमी जो इस कांसेप्ट के बारे में सोचता है कि फेमिली मीन्स Even otherwise, the definition of family includes spouse,और जब तक यह स्पाऊस जिंदा रहे, तब तक उसको पेशन मिलनी चाहिए। मूझे लगता है कि हमारे माननीय सांसद, श्री ललित सूरी साहब यह एक बहुत अच्छा संशोधन लाना चाहतें हैं कि जब तक आपका स्पाऊस जिंदा रहता है,तब तक उसको कुछ न कुछ मिलना रहना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इसी के संदर्भ मे एक और बात याद आती है ।लगभग 20 वर्ष पूर्व, हमारे मित्र जो पंजाब और हिमाचल के हैं वे जानते होगें कि शिमला से लोक सभा के एक संसद सदस्य, स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह जी कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आते थे। उनसे मेरी पूर्व में कुछ वाकफियत थी, उनकी डेथ हो गई पोर्ट ब्लेयर में और उनकी डेड बॉडी यहां पर लाई गई। उसके बाद अभी कोई पांच वर्ष पूर्व नाहनमें, जो हमारी शिमला कांस्टिच्यूएंसी का एक हिस्सा है, जाने का मुझे मौका मिला, जहां उनकी श्रीमती या फेमिली रहती थी। उनकी श्रीमती यहां मुझे मिली, वे बेचारी बूढ़ी हो गई थी। उनका कोई बच्चा नही था उनकी देखभाल करने के लिए। उन्होनें मुझे यह बताया कि उनको केवल जो पांच साल का प्रावधान था, उसी के अनुसार पेंशन मिलती रही, उस समय शायद 500 रूपए पेंशन थी और उसके बाद पिछले लगभग 12-13 सालों से उनके पास मेंटेंनैसं के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि एक मैंम्बर आफॅ पार्लियामेंट को लोक सभा की बात यदि हम लें तो उसकी तो 10 लाख वोटर्स की एक कांस्टिच्युएंसी होती है, अब शायद यह 15 लाख की हो गई है। तो जो इतने लोगों मे से चुनकर आते हैं, मुझे लगता है कि शायद यह बात कुछ गलें नही उतरती कि जिसके लिविंग स्पांउज हो, उसको पेशन न मिल सकें। मुझे लगता है कि जब तक लिविंग लाइफ टाइम स्पांउंस का हो तब तक उसको पेशन मिलती रहनी चाहिए।

**[उपसभाध्सक्ष (श्री कलराज मिश्र) पीठासीन हुए।]**

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जो इलेक्टिड रिप्रेजेटेंटिब्स होते हैं,, whosoever he may be, he may be an elected MLA, or, he may be an elected Member of Parliament, after his retirement, he ceases to be a Member of Parliament, but he does not cease to be a people's representative अगर प्युपल रिप्रजेंटिटिव्स की डेफिनेशन को हम देखेंगे, तो मुझे लगता है कि उपसभाध्यक्ष जी, आप और पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि यदि कोई प्युपल रिप्रजेंटेटिव्स है, मैं भी हूं, यदि मै रिटायरमेंट के बाद भी, राज्य सभा के सांसद के नाते तो रिटायर हो जाउंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने जीवन-पर्यन्त कभी भी एक जनप्रतिनिधि के नाते रिटायर

हो सकूंगा और उस नाते से हमारे मित्र श्री नारायणसामी जी ने अभी इस बात का उल्लेख किया था, "for maintenance and sustenance during the whole life" मुझे लगता है कि यह प्रावधान बहुत जरूरी है कि उसके लिए लाइफ टाइम तक पेंशन का प्रावधान हो।

उपसभाध्यक्ष जी, इसके साथ ही एक अंतिम बात मैं यह कहना चाहूंगा कि 1954 का जो एक्ट है, जिसके संशोधन की बात यहां पर की जा रही है, मैं चाहता हूं कि हर बार जब प्राइस इंडेक्स बढ़ता है तब इस प्रकार की बातें आती है, चूंकि इस एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि एक बिल पार्लियामेंट में आयेगा, उसमें बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, वह संशोधन एक कमेटी के माध्यम से आता है। लेकिन यह सबकी नजर में, आम जनता की नजर में, ऐसा लगता है कि जैसे शायद हम कोई गुनाह कर रहे हैं। मैं Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justiceका सदस्य हूं। अभी कई बार उस स्टेंडिंग कमेटी के सामने सुप्रीम कोर्ट के जजिज और हाई कोर्ट के जजिज की बाते आई, उनकी पेंश्न और सुविधाओं में बढ़ोतरी की बातें आई, चूकि उनकी बातें जनता में नहीं जाती है वे कमेटी के सामने आती है और उनके बाद पार्लियामेंट में आती है और ऐसा लगता है कि शायद कमेटी ने जो रिकमेंड किया है, उस उसी के आधार पर है। हमें बताया गया है, There is even a Committee of Judges. They themselves have suggested that there should be an increase उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर वह प्रपोजल्स यहां पर आते हैं और कमेटी के सामने इस प्रकार की बातें आती हैं। मुझे लगता है कि यह जो 1954 का एक्ट है, जिसके संशोधन के लिए आज यहां पर ललित सूरी जी ने कुछ संशोधन पेश किये हैं, मुझे लगता है कि इस के लिए कोई मैंकेनिज्म डेवलेप किया जाना चाहिए। मैं आदरणीय सुरेश पचौरी जी से, जो संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री है, उनसे निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार विचार करें। सरकारें तो आती है, जाती है, लेकिन इस पर सरकार को गभींरता से विचार करना चाहिए कि कोई इस प्रकार का मैकेनिज्म हो कि प्राइस इंडेक्स के साथ में आपका आटोमैटिक इनक्रीज हो और हम जो संशोधन बार-बार हाऊस में लाते है, उसको लाने की जरूरत ही न हो। उपसभाध्यक्ष जी, आपने इस बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir. The amenities and the facilities which are available to the Members of Parliament are inviting big criticism, especially among the media. It is being discussed a lot that the amenities, emoluments, remuneration, and everything of Members of Parliament is determined by the Members of Parliament themselves. It is being felt that there is some unfairness in the determination of their emoluments, whether it is allowance or other facilities. So, I would like to suggest that we have to evolve some separate independent mechanism to determine the amenities and emoluments of

the Members of Parliament. Because as far as Members of Parliament are concerned, we can express our grievances, our emergent needs, etc. At the same time, we are judging and we are also proclaiming our judgements as far as our needs are concerned. So, surely, an unfair mean is there. Therefore, I think, some mechanism has to be evolved for determining salaries and allowances and providing other amenities to the Members of Parliament. This is my first suggestion.

Sir, I would also like to make some other suggestions. As far as I am concerned. I am a Member of Parliament or a people's representative from the middle class, especially, who is coming from a rural area. I am fully satisfied with the salary and allowances to which I am entitled to, as a Member of Parliament. However, at the same time, I would like to suggest that instead of providing monetary benefits, let us strengthen Members of Parliament by providing him good infrastructural facilities, as has been rightly suggested by Shri V. Narayanasamy, because, I think, the facilities available to the Members of parliament need to be strengthened. For example, the maximum expenditure is going towards conveyance. Sir, you might be aware that Karnataka Legislative Assembly is giving conveyance allowance to its Members. It is a very welcome step. It is a very good thing. Sir, I have a suggestion in this regard. My suggestion is this. Sir, Members of parliament Local Area Development Fund is being managed and executed by the District Collectors or the District Magistrates. There the executing agency or the implementing agency is the District Collector or the District Administration. A huge amount of interest is being accumulated out of the MPLADS fund. So, I have a suggestion in this regard. As far as I am concerned, most of my expenditure is towards conveyance, namely, the expenditure involved on a car, diesel and all those things. So, my suggestion is, out of the interest which is being accumulated on the MPLADS fund, let the District Administration purchase a car for the Member of Parliament. That car should be at the disposal of the MP. Let the custodian be the District Administration or the District Collector. Whenever a Member of Parliament visits his constituency, then, this car can be provided to him and when he leaves for Delhi,let this car be in the custody of the District Collector because, as far as a Member of Parliament is concerned, he is spending Rs. 2 crores every year out of his MPLAD fund. It is being spent in one year only. If that is to be scrutinised or monitored, or, if that is to be well-scrutinised or checked in a good manner, definitely he has to move in

order to see what are the works done, how it is being done, what is the utility of that work and whether it is done in a fair manner. So, if an MP is entitled to spend money from his account, he can suggest some works, he can also have the right to supervise whether works are being done in a proper way and whether its utility is being achieved or not. Otherwise, what is the meaning of providing fund to an MP? He should see that two crores of rupees which is being given to him for a particular year is being spent in a proper way. If that is to be looked into, he needs conveyance. I fully accept the fact that the executing agency, the implementing agency is the District Collector and the District Administration. But even then, though the works are being suggested by a particular people's representative, he should see and verify that the works are done in a proper way, for which also conveyance is required. So, my suggestion is that in order to avail of this conveyance facility, it is better to have a car under the MPLADS head or whatever it may be, and let that car or the conveyance be at the disposal of the MP so that this problem can be overcome in a better way. That is my second suggestion.

Sir, I also agree with the suggestion made by some Members about the strengthening of the office. I fully agree with it. For staff, we are getting Rs. 12000 now. It is a very god amount. I do not complain. It is a very good amount. But my suggestion is that you need not pay Rs. 12000. You need not pay even a single paisa for this purpose. My suggestion is, please allow the MPs to depute an officer of not below a rank, which may be decided by the Government, who can be deputed to act as the Scretary or PA., whatever you may call him, and he may be a Central Government employee or a State Government employee or even a PSU employee, according to the discretion of the cocnerned MP so that the work can be done effectively, and his salary will be paid by the parent department.

So also, we know that so many newspapers have criticized that this amount of Rs. 12,000 is being spent in the name of their blood relations or friends, or it is being used in the name of some *benami* transactions and all such things. Such a criticism has been made. We can avoid that criticism also. Let each MP be provided with a staff, one at Delhi and another at the particular constituency, so that there is effective functioning of an MP's office.

Sir, it must also be taken note of that ten or fifteen years ago, works, which were entrusted to the MPs, were entirely different. In my school

days, it used to so happen that after elections or after filing nominations, when an MP went back to Delhi, he would be coming back only after one or two years, on rare occasions. He was not needed to go to the rural areas. But nowadays, the situation has changed. In today's democracy, there is transparency and people know what their representatives are doing. So, for each and every need, people's representatives are very essential as far as the present system of democracy is concerned. Therefore, providing a staff, at the Delhi office as well as in the constituency office is very essential. If it is alright, a constituency office could be provided along with the District collectorate. It is there is many States. So, an office may be provided in the district Collectorate; let that be an MPLAD office. It need not be an MP's office; let there be an exclusive office for the implementation of MPLAD work; let staff be provided there and let the staff work under the guidance or under the direction of the concerned MP, so that he could scrutinise office work also; he could use that office also. If supporting machinery or other office accessories are provided, it would be well and good.

So, my suggestion is, more transparency, more effective functioning of the MP, not only in MPLAD but in other activities also, would get an official character and things would be implemented in a proper manner. There would be direct access and supervision by the MP of the MPLAD work. Therefore, my suggestion is that there should be an MPLAD office at the district headquarters or at any other place that we decide. That is one thing.

Secondly, there should be a staff at the constituency as well as at the Delhi office. Also, I feel that if conveyance—whether it is connected with MPLAD or otherwise could be provided, definitely there would be better functioning on the part of an MP, Instead of increasing monetary benefits, let us provide for strengthening of supporting facilities or infrastructure facilities, so that there is more effective functioning. With these words, I conclude my speech. Thank you.

**प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) :** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं श्री ललित सूरी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं रूरल बैकग्रांउड से आता हूं। सन् 1992 में, जब मैं राज्य सभा में आया, उस समय मेरे पास कोई फोर-व्हीलर नहीं था, चार चक्के की जो सवारी होती है, वह मेरे पास नहीं थी। मेरे पास केवल एक स्कूटर था तब मैं कॉलेज में

पढ़ाता था । मैं काफी अर्से से समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था । मेरे नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी थे और उन्हीं के साथ मैं राजीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहा ।

महोदय, जब पहली बार पार्लियामेंट के लिए चुना गया और जब लौटकर अपने गांव गया, मैं गांव में रहता हूं, अभी वह सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर है,तो वहां मेरे स्वागत के लिए, मेरे साथियों और शुभचितंको ने गाड़ियां की व्यवस्था की थी और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि संसद सदस्यों के स्वागत के लिए इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां आती है । जिस दल से मैं जुड़ा हुआ था, उस समय पार्लियामेंट को जो चूनाव होता था, मैं उस की बात कर रहा हूं । उस समय विधान सभा और लोक सभा का चुनाव एक डेट को,एक समय ही होता था ।

उस समय जो पार्लियामेंट के उम्मीदवार होते थे । वे पार्टी के विधान सभा के उम्मीदवारों को फाइनेंसियली थोड़ी-थोड़ी मदद करते थे । थोड़ी मदद का मतलब आज-कल के हिसाब से लाखों या करोड़ो की बात नहीं है, उस समय सैकड़ो या हजारों की बात होती थी और वे स्वंय घूमते रहते थे । शिव चन्द्र झा जी थे, राज्य सभा के मैम्बर रहे, लोक सभा के मैंम्बर भी रहे ।वे पार्लियामेंट का चुनाव साईकिल पर लड़ते थे । मैं आपको 1967-69 और 1962 तक की बात बता रहा हूं ....(व्यवधान)... अभी श्री योगेन्द्र झा जी सैन्ट्रल हाल में बैठते हैं ।उन्होनें1962 मे सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा था । वे हमारे उम्मीदवार थे । मैं नही समझता कि उनका 5 हजार, 10 हजार रूपया भी पार्लियामेंट का चुनाव जीतने में खर्च हुआ होगा । विधानसभा और लोकसभा दोनों साथ-साथ हुए थे । इस प्रकार से पहले चुनाव होता था । जो रूरल बैंक ग्रांउड के लोग होते थे उनके पास वैसे भी पैसा नहीं होता था । स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं अपने लिए उन्होनें घर तक का इंतजाम नहीं किया । वे नाई जाति से थे । जो उनका पहले का काम था और जो उनके बाप-दादा काम किया करते थे,उससे अर्जित उनके पास थोड़ी सम्पति थी । इस बैकं ग्राउंड में पहले सांसद चुने जाते थे । अभी एक सदस्य ठीक ही कह रहे थे कि 90 प्रतिशत सांसद ऐसे हैं जो यहां से रिटायर होकर जांएगे, रिटायर तो होना ही है,जब वे दिल्ली वे वापस लौटेंगे तो उनको चिंता होगी और मेरी भी चिंता है, वैसे मेरे रिटायरमेंट में अभी दो-तीन साल हैं, मेंरी चिंता है कि जब मैं घर से दिल्ली आंउगा तो मैं कहां रहूगां, किस मित्र के निवास पर रहूंगा ? यह स्थिति आम सांसदों की है और फिर जब किसी न किसी कारण से उनकी डेथ हो जाए, उनके परिवार में पत्नी हो, अगर महिला सांसद की मृत्यु होती है पति हो,कोई आश्रित हो,उनके लिए सिर्फ पांच साल तक पैंशन की व्यवस्था है । जो सेलरी और एलोएंसेज मिलते हैं, वह पूरा नही होता । मेरे जैसे सांसदो के यहां भी कम से कम सौ लोग जरूर आ जाते है। उनको चाय पिलानी पड़ती है । कुछ खर्च नही करेगे, उनको चाय तो जरूर पिलानी पडेगी । अगर उनका, थोड़ा बड़ा स्टेटस है, आपके पार्टी वर्कर्ज या आपके क्षेत्र के बडे स्टेटस के लोग हैं, तो और भी सेवा करनी पड़ेगी । यह हम सभी का अनुभव

है। जब हमारे वर्कर्ज दिल्ली आते हैं तो बहुत से लोगों को ट्रेन का टिकट भी देना पड़ता है। जब वे यहां से वापस जाते हैं तो चलते समय कहेंगे कि हमारे पास ट्रेन का टिकट खत्म हो गया है, तो उनके लिए टिकट की व्यवस्था करनी पड़ेगी । आप पी.ए.मी रखेंगे। यदि आपके पास गाड़ी है तो आप ड्राइवर भी रखेंगें। सांसदों के जो खर्च हैं, अगर आप बहुत सीमित खर्च करेंगे तो भी ऐसा लगता है कि एक बड़ी राशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने एक-दो ऐसे सांसद भी देखे हैं, रिटायर होने के बाद, एक्स. एम.पी. देखे है, उनको बड़ी तकलीफ है,उनको खाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है। ऐसी स्थिति में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के लोगों की क्या दशा होगी ? अगर आप उन्हें जीवन भर पेशन नहीं देंगे, सिर्फ पांच साल पेशन देकर उनकी पेंशन बंद कर देंगे तो उनकी क्या दशा होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है । इसलिए महोदय, इस पेंशन की राशि , अगर सांसद का आश्रित है तो उस आश्रित के लिए इस पेंशन की राशि को जीवन भर के लिए करना चाहिए। महोदय, अभी प्रेमचन्द्रन साहब बोल रहे थे कि सांसद की योजना चलती है, राज्य सभा की योजना अपने पूरे राज्य में चलती है। कई राज्य ऐसे हैं, जो सांसदों के लिए, जब वे अपने क्षेत्र में जाते है, तो, वहां उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था होती है। मैं एम.पी.लैड कमेटी का मैम्बर था। मैं राज्य सभा की एम.पी.लैड कमेटी का काफी समय मैंम्बर रहा। मैने एक बार प्रस्ताव भी दिया था वह यह प्रस्ताव था कि जो इंट्रेस्ट आता है, उस इंट्रेस्ट से गाड़ी खरीद जाएं। मेरा बिल्कुल यही प्रस्ताव था कि गाडी खरीदी जाए और उसे कलेक्टर के जिम्मे रखा जाए। जब भी सांसद अपने क्षेत्र में जाते है, अपनी स्कीम्स देखना चाहते हैं तो उनको उनकी गाड़ी मुहैया कराई जाए, पेट्रोल की व्यवस्था कराई जाए। अभी मुश्किल होती है। मेरे जैसे लोगों के लिए अभी भी वैसी गाड़ी नहीं है, जिस गाड़ी से आप अपने क्षेत्र में आराम से जा सके। उस गाड़ी की व्यवस्था कराई जाए। अभी स्टाफ की बात कर रहे थे। नारायण सामी जी कह रहे थे। कि हमें सारा काम खुद करना पड़ता है। क्वेश्चन बनाना पड़ता है, रेफरेंस लाना पड़ता है, फिर उसे पढ़ना पड़ता है, प्वाइंट्स नोट करने पड़ते हैं। एक पी.ए. हमारे पास होता है,मगर वह पी.ए. को बहुत काम का नहीं होता है, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी नही होती कि पार्लियामेंट के काम कैसे चलते हैं। वह तो दूसरे काम में लगा होता है। जो लोग आते है, उनके लिए टिकट लाकर देना एक बड़ा काम होता है, पी.ए. पार्लियामेंट काउन्टर से टिकट लाकर देना है,फिर उसे कंफर्म भी कराना है, यह काम भी उसका होता है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार स्टाफ मुहैया करा दें, आप हमें पी.ए. के लिए पैसा मत दीजिए , अगर आप हमें स्टाफ मुहैया करा दें हमारे पार्लियामेंट के जो काम है,उन कामों में हमारी मदद करे तो ज्यादा लाभप्रद होगा। महोदय, मैं श्री कोविन्द साहब को सुन रहा था। जब मैं यहां आया तो मेरा भी मन हुआ कि मेरे पास गाडी हो, वैसे पार्लियामेंट आने के लिए तो गाड़ी की व्यवस्था होती है,उसका भाड़ा भी अब बढ़ गया है, अभी पांच रूपये होगये हैं। शुरू में जब 1992 में आया था, मुझे याद नहीं हैं, एक या दो रूपए थे, उसका भाड़ा धीरे-धीरे बढ़ गया है, फिर भी ज्यादा नहीं लगता है। यहां तक ले आते हैं, फिर यहां

से पहुंचा देते है । मेरी इच्छा हुई कि मेरी भी एक गाड़ी हो । मैने लोन के लिए सोचा, उस समय पचास हजार रूपए लोन की व्यवस्था थी । जैसा उन्होनें कहा कि पंद्रह या सोलह परसेंट उसका इंट्रेस्ट देना था । अगर आप दूसरे बैंकों से लोन लेते तो दस, ग्यारह, बारह होता । मैने उस समय एक पुरानी गाड़ी जरूर ली, लेकिन मेरी यहां से लोन लेने की हिम्मत नहीं हुई ।इसलिए मैंने खुद मित्रों से थोड़ा- थोड़ा लोन लेकर पुरानी गाडी ली । यह सांसदो की स्थिति है । जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब आप उनके आश्रित को पेंशन नही देंगें । उसकी पत्नी या पति जो भी हो व दर-दर भटकता फिरेगा, एक दरवाजें से दूसरे दरवाजें तक एक सबंधी से दूसरे संबधी तक । महोदय, एक तो पेंशन बहुत कम है । अगर आप तीन हजार या चार हजार रूपये पेंशन देते भी हैं तो उससे क्या हो सकता है । जब तक सांसद है, ठीक है, एक्स एम.पी. होने के बाद उनकी सैंकिण्ड ए/सी रेल में चलने की व्यवस्था की है । लेकिन उनके जो आश्रित है अगर आप उन्हें खाने के लिएनहीं देंगे वह बीमार हो जाता है,उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होगी तो इतने बड़े ओहदे इतने बड़े पद से क्या होगा । महोदय, यहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है यहां तक पहुंचने के लिए हमे काफी सैक्रिफाईस करना पड़ता है । हम सब यहां आए हुए हैं कोई 20 साल, कोई 25 साल कोई 30 साल के सामाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन से आम जनता की सेवा करते-करते यहां तक पहुंचे हैं । किसी –किसी का तो बाप-दादा का कमाया हुआ धन रहता है वह भी चुनाव लड़नेमें समाप्त हो जाता है, ऐसी भी स्थिति होती है । अब तो चुनाव लड़नें में बहुत पैसा खर्च होता है । इलेक्शन कमीशपन न चाहे जो भी निर्धारित किया हो,मगर असल में जो खर्च होता है । वह चुनाव लड़ने वाला ही जानता है । वैसे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों मे चुनाव पर आज भी बहुत ज्यादा खर्च नही होता है । मैं अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं, मुझे उम्मीदवारों के खर्च के बारे में थोडी-बहुत जानकारी रहती है । अभी भी महाराष्ट्र , गुजरात और दूसरे धनी राज्य हैं, उनकी तुलना में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव का खर्चा कम है, कि अगर वहां के उम्मीदवार की आर्थिक दृष्टी से देखा जाए. तो वह कम नहीं है । इसके लिए उसे कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है । अगर वह जीत गया,तब तो किसी तरह से जैसे-तैसे व्यवस्था करके पांच सालों में वह कर्ज पूरा कर देता है, लेकिन अगर वह चुनाव हार जाता है, वैसे भी सभी तो जीतेंगे नहीं, जीतेंगा तो एक ही , बाकी तो हारेंगे ही, ऐसी स्थिति में उसके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है । सांसदों की यह स्थिति है ।

महोदय, अभी लोग अमरीका और इंग्लैंड की बात कर रहें थे । अमरीका और इंग्लैंड जैसे देशों में सांसदों को तरह-तरह की सुविधाएं दी जाती है, चाहे वह एलाउंससेज हों या सैलरी हो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहां सांसद ईमानदारी से काम करते हैं, मैं छिटपुट घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं आम तौर पर से सांसद ईमानदारी से काम करते हैं क्योकि उन्हें फिर वापस जनता के बीच मे जाना पड़ता है । अगर उनकी इमेंज खराब होती है, अगर उनसे कोई भूल हो जाती है तो फिर जनता उन्हें माफ नहीं करती है आजकल आप छोटी गलती भी करेंगे, तो ये टी.वी. वाले, अखबार वाले, छोटी गलती का भी बड़ा रूप देश के सामने लाते हैं ।

**4.00 P.M.**

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । इसके ही साथ मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो वास्तविक समस्या है, इसके लिए एक कमेटी बनाकर सांसदों की और पूर्व सांसदों की आर्थिक स्थिति की जांच करवाई जाए कि वे किस स्थिति में देश की सेवा कर रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार की क्या स्थिति होती है,इसकी भी जांच करवांए । मैं 5 या 10 प्रतिशत सांसदों की बात नही कर रहा हूं , मैं आम सांसदों की बात कर रहा हूं । यह जांच करवाने से आपको महसूस होगा कि संसद भवन और सेंटल हॉल में बैठकर सांसद देश, चलाते हैं, जनता की बड़ी-बड़ी समस्याओं की चर्चा करते हैं,उन समस्याओं को हल करते हें यहां से जाने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है, या उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार की क्या स्थिति होती हैं ।

महोदय, पेशन का जहां तक सवाल है, आजीवन पेंशन की जानी चाहिए । पेंशन की राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाना चाहिए । गाडी के लिए लोन अभी एक लाख रूयए तक दिया जाता है । मैं दूसरे प्रदेश सरकारों के बारे में नहीं जानता लेकिन बिहार में बहुत कम इंट्रेस्ट पर 4 परसेंट इंट्रेस्ट पर एम्बेसेडर गाड़ी खरीदने में जितना पैसा लगता है, उतना लाने दे दिया जाता है ।यहां भी सांसदों को कम-से-कम एक गाड़ी खरीदने के लिएकम इंटरेस्ट पर लोन मिलना चाहिए । उन्होनें 4 लाख की बात की है । एक गाड़ी 4 लाख मे आती है या नही आती है, ऐसी बात नहीं है ...(व्यवधान).. लोन मिलता है, कर्ज मिलता हैं ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र ) :** शुक्ल जी, आप इन्हें बोलने दीजिए ।भंडारी जी, आप इधर बोले ।

**प्रो. राम देव भंडारी :** मैं लोन की बात कर रहा हूं ...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र ) :** भंडारी जी, आप इधर सम्बोधित करके बोलें ...(व्यवधान)... भंडारी जी, आप इधर सम्बोधित करके बोलें, उनको बोलना है तो वे बोलेंगे ।

**श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश ) :** उपसभाध्यक्ष जी, मैं पूछना चाह रहा हूं कि वेहिकल में हेलिकॉप्टर है या नहीं ?

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र ):** वह आप अपने भाषण में बोलिएगा ।

**श्री राजीव शुक्ल पक्ष :** भंडारी जी बोले जा रहे हैं, तो हमें मौका भी नहीं मिलेगा ।यह सबका दर्द हैं ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र ):** समय पर्याप्त है, आप चिन्ता मत कीजिए ।

**प्रो.राम देव भंडारी :** शुक्ल जी, मैंनें अपनी यात्रा साइकिल से शुरू की थी ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र ):** भंडारी जी, आप समापन करेंगे ।

**प्रो.राम देव भंडारी :** मैंने अपनी यात्रा बैलगाड़ी से शुरू की थी । कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हम लोग बैलगाडियां में बैठकर चुनाव प्रचार के लिए जाते थे । कर्पूरी ठाकुर जी साइकिल के पीछे बैठकर भी चुनाव प्रचार मे जाते थे । कोई साइकिल चलाता था और वे उसके पीछे बैठ जाते थें । पोटली में चूड़ा,गुड रहता था । हम लोग साथ रहते थे । रास्ते में अगरकही भूख लग जाती है तो हम लोग उसे निकाल कर पानी में भिगोकर गुड। के साथ खाते थे, फिर चुनाव प्रचार मे निकल जाते थे । मैंने वह समय भी देखा है । आज हेलिकॉप्टर भी देख रहा हूं । आज मेरी पार्टी में भी हेलिकाप्टर से प्रचार हो रहा है । ऐसी बात नही हैं कि दूसरी पार्टियों में ऐसा हो रहा है, मेरी पार्टी में भी ऐसा हो रहा है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) :** आप समापन कीजिए ।

**प्रो. राम देव भंडारी :** मैंने साइकिल से लेकर हैलिकॉप्टर तक की यात्रा देखी है । मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सांसद की फाइनंसियल पोजीशन का भी जानकारी ले लें पूर्व सांसदों की तो जानकारी लेनी ही चाहिए । वे कम-से-कम ठीक ढंग से जिये, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) :** श्री मूल चन्द मीणा ।

**श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) :** उपासभाध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों के वेतन-भत्ते और पेंशन के सम्बंध मे ललित सूरी जी जो प्राईवेट मैंम्बर बिल आएं है, लोग जब सुनते होंगे तो कहते होंगे कि एमपीज अपने लिए ही वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए बिल पर चर्चा कर रहें हैं और सरकार के ऊपर इस बिल के माध्यम से दबाव डाल रहे हैं ।

नहीं, उपसभाध्यक्ष महोदय, सांसदो के वेतन-भत्तें और पेंशन के लिए जब हम संसद में चर्चा करते हैं और संसद के माध्यम से जब उनको बढ़ाया जाता है, तो इस देश का जो मीडिया है, उसमें किस प्रकार के चुटकुले टाइप खबरें बना कर अखबारों में छापे जाते हैं,टीवी पर दिखाए जातें हैं । अभी प्रेमचन्दन जी कह रहे थे कि इससे बचने के लिए एक अलग निकाय होना चाहिए, जो सासंदों के वेतन – भत्ते और पेंशन को समय-समय पर, आवश्यकता के अनुसार बढ़ाता रहे । उस पेंशन और भत्तें की व्यवस्था समय के अनुसार , आवश्यकता के अनुसार वह करता रहे । एक ऐसे निकाय की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है ।

साथ ही आज जब हम हिन्दुस्तान के सांसदों की और दूसरे कंट्रीज, यूरोपीय कंट्रीज, अमेरिका इंग्लैंड जैसे देशों के सांसदो की सुविधाओं के साथ तुलना और है, तो हिन्दुस्तान के सांसदों की सुविधाएं नगण्य है,बहुत कम सुविधांए है। चाहे हम सुविधा की बात करें या वेतन की तो सांसदों को कितना वेतन मिलता हे वे अपना काम, अपना खर्च नहीं चला सकता । दिल्ली में रहकर यदि वे अपने परिवार को अपने साथ रख लें तो इस पेंशन से इस वेतन से उनका खर्चा नहीं चल सकता ।

इसके साथ ही यहां पर जो परिवार का खर्च है यदि घर से किसी सांसद को पैसा नहीं मिले तो वह अपने परिवार का पालन दिल्ली में रह कर नहीं कर सकता। दिल्ली में जब संसद का काम चलता है तो उसे अपने परिवार को साथ रखना होगा उसे जो वेतन मिलता है, वह बहुत कम है बहुत थोड़ा है।

महोदय, सांसदों का वेतन तो देश की कई विधान सभाओं के एम.एल.एज.से भी कम है। कई विधान सभाओं के एम.एल.एज. को ज्यादा पैसा मिलता है।इसलिए इस बारे में अध्ययन होना चाहिए। देश के लिए कानून बनाने वाले कानून का पालन कराने वालों को आप पर्याप्त वेतन भी न दें और जब उनकी चिंता वेतन के प्रति रहेंगी तो फिर वह देश हित के बारे में क्या विचार करेगा ? महोदय हमारे देश की जब संसद बनी थी उस समय लोगों की भावना देश सेवा की थी। वह वेतन की बात नही करते थे, लेकिन आज का युग आर्थिक युग है। आज दिल्ली मे रहकर बच्चो को स्कूल की शिक्षा दिलाना भी बहुत महंगा हो गया है क्योंकि सभी आवश्यक साधन महंगे हो गए हैं। इस सब को देखते हुए इस विषयय में गभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आप दूसरे देशो के सांसदों को मिलने वाले वेतन और सुवधिओं का हमारे देश की सांसद को प्राप्त वेतन वे सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मैं नही कहता कि हमारा वेतन उन से ज्यादा हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से बराबर हो।आप जानते हैं सांसदों के घर मेहमान आतें हैं, क्षे. के लोग आते हैं जिन्हें चाय पिलानी पड़ती है। खाना भी खिलाना पड़ता है। अगर उन के रहने की व्यवस्था की जाए तो नहाने-धोने के लिए तेल व साबून की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति मे आज का सांसद उसे प्राप्त वेतन से कैसे काम चला सकता है। आज हम एक सांसद को प्राप्त स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो पाते हैं कि उसके लिए सी.जी.एच.एस. से सुविधा प्राप्त है। अब यह व्यवस्था कैसी है मैं आप को इस बारे में बतलाना चाहूंगा। अभी हमारे एक सांसद दोस्त की वाइफ बीमार हो गयी। उसे रात में इमरजेंसी में गंगाराम हॉस्पिटल ले गए और एडमिट कराया। उनका आपरेशन होने के बाद छुट्टी होकर घर आये तो हॉस्पिटल के बिल का 56 हजार रूपया उन्होनें जमा कराया। अगर वे सांसद सेंक्रेटरी जनरल को इमरजेंसी लिखकर नही देते तो वहां बिल भी उन्हें नहीं मिलता । तब भी सी.जी.एच.एस. से उन्हें 23 हजार रूपया मिला । ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सांसद अच्छे हॉस्पिटल में इलाज तक नहीं करा सकता। जिस पंचायत के लोग देश के लिए कानून बनाते हैं उन की यह स्थितिय है। इसलिए सांसदों को अच्छे इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि वे अपनी इच्छानुसार जिस हॉस्पिटल में चाहे उस मे इलाज करा सकें और उन्हें बिल का पूरा पेमेंट भी मिलना चाहिए। महोदय, अभी राम देव भंडारी जी सांसदों के लिए गाड़ी की बात कह रहे थे। इस संबध मे मैं कहना चाहूंगा कि संसद सदस्य किसी भी प्रांत के अंदर जाए, उसे मिलने वाली गाड़ी की सुविधा में एकरूपता होनी चाहिए फिर चाहे वह पांडिचेरी का सांसद हो राजस्थान का हो या दिल्ली का हो। महोदय, राजस्थान के अंदर गाड़ी की सुविधा है लेकिन जो गाड़ी सांसद को मिलती है, वह बड़ी ही दयनीय स्थिति की होती है। वह कलेक्टर की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। जब कोई सांसद उन्हें इत्तला करता है तो उसे या तो हैल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ी भेज दी जाती है

या डीजल की जीप भेज दी जाती हैं । यह सांसद की हैसियत के खिलाफ है । ये प्रशासनिक अधिकारी संसद की हैसियत को नहीं समझते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर प्रांत के अंदर संसद सदस्य का प्रोग्राम मिलने के बाद गाड़ी की व्यवस्था हो और वहां स्टेट मिनिस्टर को जिस प्रकार की सुविधाएं है वैसी सुविधांए स्टेट के अंदर सांसद को मिलनी चाहिए ।

महोदय, वह चाहे किसी भी स्टेट का सांसद हो किसी भी स्टेट में जाए तो उसको गाड़ी की सुविधा उसके ठहरने की सुविधा उसकी सुरक्षा के लिए गनमैन की सुविधा और एक कर्मचारी की सुविधां उसको उपलब्ध कराई जाएं जिससे यदि एक सांसद किसी प्रांत में जाए तो उसे असुविधा महसूस न हो । उपसभाध्यक्षमहोदय हमे जितना यात्रा भत्ता मिलता है वह बहुत ही कम है । हम चाहे अपने जिले के देहात से या गांव से आते हैं और कार से आते हैं तो हमें यहां आने में करीब 400 किलोमीटर हो जाता है और जब वहां से टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी वाले डबल का किराया लेता है तो इस तरह 800 किलोमीटर हो जाता है । इस प्रकार यदि 10 रूपऐ प्रति किलोमीटर के हिसाब से 800 किलोमीटर का किराया निकाला जाए तो वह 8000 रूपए हो जाता है और हमें यहां मिलता क्या है ? दो या ढाई हजार रूपए । इसलिए ये तो मूल सुविधांए हैं, मूल आवश्कयताएं हैं, ये तो पूरी मिलनी चाहिए ।इसमें कटौती किस बात की ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, सांसद किस प्रकार से अपना घर चलाते हैं ? मुझे याद है कि राजस्थान के आदिवासी-ट्राईबल के जो सांसद हैं उनमें तो कई हैंड टू माउथ है।वे चाहे पांच साल सांसद रहे हों या चार या ढाई साल रहें हों ।कई सांसद जो दो-दो, ढाई साल सांसद रहे थे, उनकी हालत तो बहुत दयनीय है । बासवाडा और डूंगरपुर के कई सांसदों को मैं देखता हूं तो मुझै बड़ी दया आती है कि देश की संसद के सदस्य रहे है और उन लोगों की यह स्थिति है । आखिर जब तक वह सांसद रहे तब तक तो उनको पेंशन की सुविधा ढंग से मिल सके । एक सदस्य को एक टर्म का 3 हजार रूपए देते हैं । मैं उनकी बात नहीं कह रह हूं । सूरी साहब लांए, बहुत अच्छी बात है । अपने गरीब सांसदों की बातें सुनिए । सूरी साहब को इससे कोई फर्क नहीं पडता कि उन्हें पेंशन मिले या नहीं मिले । वैसे सूरी साहब की सोच बहुत अच्छी है । आपको ट्राईबल कास्ट के ज्यादातर सांसद ऐसे मिलेंगे, जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है । महोदय, उसका कारण है कि यदि शैड्यूल्ड कास्ट-शैड्यूल्ड ट्राईब के सांसद एक बार सांसद बन जाएं तो दूसरी बार उनका टिकट काट दिया जाता है । यदि दूसरी बार भी टिकट मिल जाता है तो तीसरी बार तो उनको सांसद बनने ही नहीं दिया जाता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे जो लोग हैं, गरीब तबके के सांसद हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सांसद अपने घर का खर्च चला सकें । सांसद को पेंशन 3 हजार के बजाए 10 या 12 हजार के लगभग कर दिया गया जाए । इससे कम नहीं हो तो एक सांसद रहकर वह अपने जीवन का पालन तो कर सकता है ।

**[श्री उपसभापति पीठासीन हुए ]**

उपसभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि एक सांसद को पेंशन मे 10 या 12 हजार रूपया मिलें । लोगो द्वारा कहने के लिए उस गरीब का मजाक उड़ाने के लिए जो संसद का

सदस्य रहा है, उसका मजाक उड़ाया जाए कि यह सांसद रहा है, कैसे फटीचर बनकर घूम रहा है। तो उसे अपने फटीचर जीवन से मुक्ति तो मिल जाए। उसको पेंश्न मिले,साथ ही उसका, उसकी वाईफ का, उसके बच्च्वों की परवरिश ठीक से हो। उसकी वाईफ का जीवन-यापन ठीक से हो। उपसभापति महोदय, मुझे याद है कि राजस्थान का, बैंकवर्ड क्लास का, राज्य सभा का एक मैंम्बर था, जिसकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई।उसकी वाईफ को पांच साल या 3 साल पेंशन मिला,जब उसका टर्म था। उसके बाद उसने कई चिट्ठियां लिखीं, हमने भी चिट्ठीयां लिखी लेकिन उसका कोई असर नही हुआ। आखिकार उस बेचारी को कही नौकरी करनी पड़ी। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि जब एक संसद सदस्य रहा हो,तो उसके परिवार की, उसके वाईफ की रक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था भी हो तो उसका सम्मान नही गिरेगा। उसकी इज्जत नहीं गिरेगी और उसका सम्मान रहेगा। तो उसका सम्मान गिरेगा नहीं ,तो उसके इज्जत गिरेगी नहीं इससे उसका सम्मान रहेगा। और उसका सम्मान रहेगा। उसकी इज्जत रहेगी, समाज में उसकी इज्जत बनी रहेगी। इसलिए पेंशन तो मूल आवश्यकता है। क्योंकि संसद-सदस्य रह जाने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता है। एक बार यहां आने के बाद, संसद में रहने के बाद आदमी कोई काम का नहीं रहता है। वह काम नही कर सकता , गलत काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि शर्म आती है, काम करते भी शर्म आती है।कई ऐसे लोग है।इसलिए उसकी आवश्यकता अनुसार पेंशनकी व्यवस्थाओं पर विचार होना चाहिए। आप संसद सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिए और वह विचार करें कि पेंशन कितनी हो, सुविधानुसार उनकी पेंशन कितनी हो।

उपसभापति महोदय, मैं अब अन्य सुविधाओं के बारे में कहना चाहूंगा। एक संसद सदस्य के लिए दिल्ली में जो रहने की व्यवस्था है, उसमें साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के फ्लैट्स आपने देखे होगे। यदि वह पी.ए. और अपने लिए ऑफिस बना ले, तो जगह बहुत कम मिलती है। कोठियों के अन्दर रहने वालो को सुविधांए सारी मिल जाती होंगी, लेकिन जो फ्लैटों में रहते हैं, उन संसद-सदस्यों के सामने बड़ी दिक्कत होती है, वह न अपना आफिस बना सकता है, न पी.ए. रख सकता है। यदि ऑफिस और पी.ए. बना लिया और फ्लैट में किसी गेस्ट को ठहरा लिया, तो परिवार को वह रख नहीं सकता। अपने परिवार को, बच्चों को दूसरी जगह रखना होगा। इसलिए या तो एक-एक ऑफिस के लिए एक्सपेंशन किया जाए या कुछ दूसरी व्यवस्था की जाए। दूसरी, एक बात यह कहना चाहूंगा कि हर राज्य के अंदर एक ऐसी व्यस्था हैं, पहले दिल्ली में भी हुआ करती थी, कि जो संसद-सदस्य रहते थे, उनको हाउसिंग बोर्ड से या सोसाइटी के माध्यम से मकान की व्यवस्था हो जाती थी ताकि रिटायर होने के बाद उस मकान में रह सकें। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। आज राज्य के अंदर तो यह व्यवस्था है कि हाउस कमेटी या हाउसिंग बोर्ड सांसद को एक मकान की एलोटमेट करता है, यह अलग बात है कि वह सांसद उसे ना लें, लेकिन एलोटमेंट जरूर करता है, लेकिन सांसदो के लिए दिल्ली में यह व्यवस्था नहीं है। होना यह चाहिए कि एक संसद-सदस्य को संसद सदस्य बन जाने के बाद डी.डीए. के माध्यम से एक मकान मिलना चाहिए। यह भी देखा गया है कि अगर डी.डी.ए.के माध्यम से जो मकान भी मिलेगा, वह जाकर मिलेगा द्वारका से दूर या द्वारका में। यह ऐसी दुर्भावना क्यों है संसद-सदस्य

के प्रति ? अच्छी लोकेशन में, उसकी फ्री नही, फ्री की बात मैं नही कर रहा हूं, जो रेट हो, उस रेट के हिसाब से जिस प्रकार से डी.डी. ए. देता है, संसद-सदस्य को एक मकान देने की व्यवस्था को या संसद-सदस्योंकी को आपरेटिव सोसायटी जैसे पहले बनती थी, ऐसी कोआपरेटिव सोसायटी उन संसद-सदस्यों की बनवांए, जिनके पास मकान नही है और उस कोपरेटिव की आवश्यकतानुसार जमीन उपलब्ध करा दें, जिससे वह कोआपरेटिव सोसायटी मकान बना सकें।

उपसभापति महोदय, एक बात यह भी मैं बताना चाहूंगा कि जो कोआपेरटिव सोसायटी बनती हैं, उसमें कई कोआपरेटिव सोसायटीज के एक्सपीरिएंस अच्छे नहीं रहे हैं। मैने देखा है कि हमारे जो कई पुराने संसद-सदस्य कोपरेटिव में थे, उनको कोपरेटिव के माध्यम से मकान तो मिले हैं, लेकिन आज तक,पन्द्रह साल बाद भी,उनको मकान के कब्जे नही मिल रहे हैं। उस समय कोओपरेटिव सोसायटीज में कुछ ऐसे लोग, कर्मचारी टाइप के सदस्य बन गए थे, जिन्होनें आज उस पर कब्जा कर लिया है, संसद सदस्य उसमें सिर्फ मैम्बर है। जो कर्मचारी थे, संसद-सदस्यों के पी.ए. वगैरह थै, आज वे उस कोपरेटिव के मालिक बन गए है। उन कोआपरेटिव सोसायटीज में इतने करप्शन कर लिए गए, जिनके लिए मैं चाहता हूं, उपसभापति महोदय, जो एम.पीज. की कोआपरेटिव सोसायटीज है, उन सब की जांच कराई जाए कि कितनों में करप्शन हुआ है, संसद-सदस्य को मकान क्यों नहीं मिलें है ? आज वे संसद –सदस्य सफर कर रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं। मकान तो बन गए हैं,लेकिन उनमें करप्शन इतना किया गया है उन सदस्यों के माध्यम से जो उनके पदाधिकारी बन गए हैं,जिससे उन संसद-सदस्यों को प्रन्द्रह साल के बाद भी मकान ही नहीं मिले हैं।

इस प्रकार की व्यवस्था की बजाए तो डीडीए का एक-एक मकान संसद सदस्य को मिल जाए, यह सुविधा दी जानी चाहिए।

उपसभापपति महोदय, एक निवदेन मेरा और है कि संसद-सदस्य के सामने बिजली और पानी के बिल के भुगतान की दिक्कत आती है।बिजली और पानी के बिल पर संसद सदस्य ध्यान तो देत नहीं हैं,बिल आता रहता है और उस पर पीनल रेट से ब्याज भी लगता रहता है। तो पानी और बिजली जैसी सुविधांए तो संसद सदस्य को मुफ्त होनी चाहिए यानि उनसे बिजली और पानी का कोई चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए ..(व्यवधान)... संसद सदस्य कोई फैक्ट्री चला रहा है कि बिजली और पानी उसको फ्री नहीं मिले।रमेश जी, जो गरीब संसद सदस्य हैं, उनसे पता लगाइए कि उनकी क्या स्थिति होती है जब बिजली और पानी का बिल आ जाता है और जो उनकी तनख्वाह है, उसके हिसाब से वे उसे चुका नही पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पानी और बिजली फ्री होनी चाहिए, जिस प्रकार से मकान का कोई चार्ज नहीं होता है।ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपसभापति महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि संसद सदस्य की और विधान सभा के सदस्य की आयु में जो तुलनात्मक डिफरेंस है, आप देश की विभिन्न विधान सभाओं के

सदस्यों को मिलने वाले वेतन और भत्ते की रिपोर्ट मंगा लें, संसद सदस्य का वेतन उनसे कम तो नहीं होना चाहिए। कई ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर एम.एल.ए. को सांसद से डबल तनख्वाह मिलती है।

मैं कहना चाहता हूं कि ललित सूरी जी की सोच बड़ी अच्छी है गरीब एम.पीज. के प्रति, एक्स एम.पीज. के प्रति और बहुत अच्छा सोच-समझकर आप बिल लाए हैं।

MPLAD के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे संसद सदस्य कह रहे हैं कि MPLAD में वह गाड़ी खरीद लें, यह तो गलत है, मैंतो इसको ऐक्सैप्ट नहीं करता कि MPLADमें गाड़ी खरीदे। मेरा यह कहना है कि MPLAD में यदि भ्रष्टाचार किया जा रहा हो, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा MPLAD में भ्रष्टाचार किया जा रहा हो और संसद सदस्य उसके बारे में कुछ कहे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं होती है।उपसभापति महोदय, भ्रष्टाचार कैसे होता है MPLAD में एम.पी. ने लिख दिया कि यह सी.सी. रोड बनेगा, यह सड़क बनेगी या ट्यूबवैल बनेगा और एंजेंसी, प्रशासनिक अधिकारी एक बार तय कर दें कि इसको डिपार्टमेंट बनाएगा या पंचायत बनाएगी या नगर पालिका बनाएगी, उसने तो डिसाइड कर दिया, लेकिन उसके बाद यदि अधिकारी का उसमें भ्रष्टचार का सिस्टम नहीं बैठता है तो फिर वह अधिकारी उसको बदलता है, वह उसका दोषी है। इसलिए ऐसी कार्रवाई के खिलाफ यदि संसद सदस्य लिखता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य की हैसियत से उसका जो प्रोटोकोल है, उस प्रोटोकोल की रक्षा होनी चाहिए। जब किसी स्टेट में संसद सदस्य जाते हैं तो प्रोटोकल के हिसाब से जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान नहीं मिल पाता है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत संसद सदस्य के द्वारा की जाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। तो मेरा यह कहना है कि सदस्य के प्रोटोकोल का सम्मान होना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि कोई अलग से निकाय या संस्था बना दी जाए जो कि समय-समय पर संसद सदस्यों का वेतन या भत्ते बढ़ाती रहे ताकि अखबार वालों को लिखने का मौका न मिलें नहीं तो संसद सदस्यों का जब वेतन या भत्तें बढ़ाए जाते हैं तो ये बड़ी चटपटी खबरें लिखते हैं और लोग मजाक करते हैं कि संसद सदस्य अपना वेतन बढ़ा रहे है। इसलिए इस के लिए एक अलग से निकाय बना दें। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। (समाप्त)

**श्री शरद अनंत राव जोशी (महाराष्ट्र)**: उपसभापति महोदय, मेरे साथी ललित सूरी जी ने जो बिल रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे समर्थन करते हुए जरा भी संकोच नही है जरा भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि बाहर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि संसद के सदस्यों का जब कोई लाभ होना होता है तो वे इकट्ठा हो जाते है और देश के लाभ की जब बात उठती है तो आपस में विवाद खडे करते हैं। मैं पूरे दिल से यह कह रहा हूं कि मै 25 साल किसान रहा किसान आंदोलन का नेता रहा और किसानों को एक ही सबक सिखाया कि हमें

लागत मूल्य के हिसाब से वाजिब दाम मिलना चाहिए, किसी की भीख नहीं चाहिए और यही एक सबक लेकर मैं अभी सांसदो का जो मेहनताना है जो उनका Remunertion हैं उनके Perks हैं उसके बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।मुझे ललित सूरी जी को धन्यवाद देना है, मेरे मन में जरा सी भी हिचकिचाहट नही हैं, क्योंकि मैं किसान हूं और मेरी खेती में जो नुकसान होता है...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** मीणा जी आप सुनिये । जोशी जी आपकी ही बात कर रहें हैं ।

**श्री शरद अनंत राव जोशी :** मेरी खेती मे जो नुकसान होता है वह मेरे लिखने से करीब-करीब थोड़ा निकल आता है लेकिन सारा मेरा कारोबार जो मुझे यहां से मिल रहा है, उसी से चल रहा है । इसकी चिंता होते हुए भी आपको यह कहने के लिए संकोच होता हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाये मेरे मन में कुछ संकोच होता है इसलिए मै इसके लिए ललित सूरी जी का आभार मानता हूं । सभी को मालूम है कि ललित जी को न तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है न उनके सामने कोई पेंशन का प्राब्लम है न कार खरीदने के लिए किसी एडवांस की मुश्किल उनके सामने खडी होने वाली है । हमारे सामने ये मुश्किलाते हैं और एक आदमी अगर कोई यहां इस तरह की मांगे सामने रख सकता था तो उनमें से एक ललित सूरी आगे हो गये । इसकी मुझे बहुत खुशी है ।

माननीय उपसभापति जी, मैं चालीस साल पहले यहां दिल्ली में गवर्नमेंट आफ इंडिया में डिप्टी सेक्रेटरी काम करता था उसके बाद मैं यूनाईटेड नेशंस गया और वहां से यहां वापस आकर फिर किसानबनकर मैं एक सांसद बनकर आया हूं। आज मैं देखता हूं कि जो पद मैंने 40 साल पहले छोड़ा , उसी पद की जो तनख्वाह है वह मेरी तनख्वाह से आज करीब-करीब दुगनी हैं । अगर उसी जगह पर मैं लौटा और मुझे फैमिली पेंशन मेरे परिवार के लोगों को मिलती तो वह आज मुझे जो मिल सकती है उससे कई गुणा ज्यादा मेरी फैमिली को वहां पर मिल सकती थी और पूरी जिंदगी के लिए उनको मिल सकती थी मेरी समझ में यह नही आ रहा है और ललित सूरी जी ने बड़ी शालीनता से यह कहा है नारायणसामी जी ने जो बात कही वह ललित सूरी जी भी कह सकते थे कि आज सांसदो को जो तनख्वाह मिल रही है उस तनख्वाह से उनका कुछ बनता नहीं है मूल चन्द मीणा जी ने भी यही कहा है मैं तो इसके लिए सारे अकांउट्स आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं । बात यह है कि उन्होनें केवल Perks की बात कही है यह आगे के लिए एक सुझाव रखा है कि जो चल रहा है वह ठीक नहीं है । मेरे बहुत से दोस्त है जिनके परिवार फैमिली पेंशन से पल रहे हैं और उसमें से बहुत सारे मुझे यह कहते रहते हैं कि हमारी समझ में नही आ रहा है कि गवर्नमेंट को फैमिली पेंशन भी बढ़ाई जाती है और मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी जो कि क्लास वन होकर रिटायर हुए उनकी फैमिली पेंशन इतनी बड़ी मात्रा में कैसे संभव हो रहा है । हर बार जब डी.ए. बढ़ाया जाता है तो फैमिली पेंशन करीब करीब साढ़े सात हजार रूपये तक मेरी मां लेती थी ।अब अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फैमिली पेंशन की इस तरह की व्यवस्था है तो सांसदों की फैमिली के लिए अलग तरह के रूल्स क्यों लगाये जाते हैं यह मेरा

पहला सवाल है । सांसदो के लिए जो रहन-सहन की व्यवव्स्था,तनख्वाह की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्राक्चर की व्यवस्था है उसके बारे मैं कहूंगा कि मैं जिस तरह की अपेक्षा रखकर यहां आया और जिस तरह का काम मैं संसद भवन में करना चाहता हूं उसके लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है । मैं हमेशा जब जयराम रमेंश बोलते हैं,तो देखता रहता हूं कि उनको इतना समय मिलता कहां हैं सारे डाक्युमेंटेशन वगैरह इकट्ठा करने के लिए, शायद पेशे से थोड़े रिसच्रर होने के कारण बनता हैं । मुझे यहां आने के बाद, मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज की कमी है कि जिस तरह से एक असिस्टेंट है, जो पार्लियामेंट की अलग-अलग मिनिस्टरीज़ वगैरह से दीर्घाओं का ही काम करता है उसी तरह से कम से कम एक आदमी,जो कम से कम ग्रेजुएट हो, जो कम से कम रेफरेंसिज तैयार करने के काम का हो –इतना अधिकार तो सांसदों को होना चाहिए। लेकिन ललित सूरी जी ने वह बात भी नहीं की, दो ही बातें की । उन्होनें कहा कि दिल्ली में एक वाहन होना जरूरत है ।सर, यह सदन वरिष्ठों का सदन है,बुजुर्गों का सदन है । अब मेरे लिए साइकिल पर जाना या मोटर-साइकिल पर जाना संभव नहीं है, उचित भी नहीं होगा । जाना पड़ेगा तो चार चक्के की गाड़ी पर ही जाना पड़ेगा और उसके लिए 1985 में एक लाख और कुछ रूपए में एक गाड़ी मिलती थी लेकिन आज तो एक भी गाड़ी नही हैं । एक गाड़ी का अपवाद छोड़ दें तो पांच-छः लाख के नीचे गाड़िया मिलती ही नहीं है । ऐसे सयम में एक लाख की ही मदद करना एक तरह से सांसदों को भ्रष्टाचार करने के लिए उत्तेजित करने जैसा होगा,इस बात के लिए मैं ललित सूरी जी के बिल का पूरा समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

**श्री अबू आसिम आजमी (उत्तर प्रदेश) :** शुक्रिया वाइस चेयरमैंन साहब, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया ।सबसे पहले तो मैं ललित सूरी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं । जैसे हमारे पहले साथियों ने कहा है,हालांकि ललित सूरी जी को तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उन्होनें इस बात को महसूस किया । मैं अभी सोच रहा था कि इलैक्शन कमीशन की तरफ से, सरकार की तरफ से एम.पी को 15 लाख रूपये खर्च करने का राइट दिया हुआ है,लेकिन अगर अपने दिल पर हाथ रखकर लोग सोचें कि एम.पी. के इलैक्शन में कितना खर्च करना होता है तो यह बात कोई ढकी-छुपी नहीं है कि आज ज्यादातर लोग, हाई-फाई इलैक्शन करोड़ रूपए खर्च करके लड़ते है । अगर 15 लाख ही मान लिया जाए तो पांच साल में एक महीने के तकीरबन 25 हजार रूपये होते हैं । एक आदमी इलैक्शन लड़ता है ,15 लाख रूपए खर्च करता हैं, पांच साल एमपी रहता है और पांच साल एमपी रहने के बाद उसे जो तनख्वाह मिलती है, अगर उस पूरी तनख्वाह को जमा करके भी वह इलैक्शन लड़ने जाए तो शायद वह इलैक्शन नही लड़ सकता । इसलिए यह बात बिल्कुल सही है कि अगर एक आदमी अपने आपको पूरा का पूरा राजनीति के लिए डिवोट कर देता है, अपना पूरा समय राजनीति में दे देता है और उसके बाद, राजनीति में आने के बाद वह एमपी बन जाता है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, सरकार की तरफ से उसे हवाई जहाज का किराया मिलता है,ऐक्जीक्यूटिव क्लास का, ट्रेन का किराया मिलता है फर्स्ट क्लास का-तो क्या वह आदमी जब जाकर एययपोर्ट पर उतरेगा तो वहां से वह रिक्शा मे जाएगा या पैदल जाएगा या साइकिल पर जाएगा ? उसे उसी स्टेटस से जाना पड़ेगा जिस स्टेटस से सरकार ने उसको

ऐक्जीक्यूटिव क्लास का टिकट दिया है। इस प्रकार उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उसको फाइव स्टार होटल में रहना पड़ता है। मैं यह महसूस कर रहा हूं, मैं अपने साथियों से यह कहता भी हूं-हालांकि मैं तो बिजिनेसमैन हूं,लेकिन मैं जब अपना खर्च जोड़ता हूं तो मै इस बात को महसूस करता हूं कि जो कुछ मिलता है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। सुबह से शाम तक जितने लोग मिलने आते हैं, अगर आप उनकी चाय नही पिलांएगे तो क्या आपकी हैसियत होगी, आप एमपी बन गए हैं। इतने ज्यादा शादी के इनविटेशंस शादी के आते है कि रोज़ाना आपको शादी में जाना होता है। वह आदमी अगर बिजिनेस नहीं कर रहा है,सिर्फ राजनीति कर रहा है तो लिफाफे में दो- सौ, तीन सौ रूपए रखकर उसको देने पड़ते है, गरीब लोगों की शादी मे जाना है। इस प्रकार उसका खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एमपी,जो 103 करोड लोगों में से, 543 और 250 चुनकर आते हैं, ये इस देश को रीप्रेजेंट करते हैं, उनकी हैसियत के मुताबिक उनको पूरी सुविधांए मिलनी चाहिए और कम से कम एक उनकी कॉन्स्टीट्यूऐंसी में तथा एक दिल्ली में पूरे फुल-फ्लैज ऑफिस का प्रावधान सरकार को करना बहुत जरूरी है, यह बहुत ही जरूरी चीज़ है जिस बात को मैं महसूस कर रहा हूं। एक चीज़ और है कि एमपी को एमपीलैड मिलता है, दो करोड़ रूपया उसके सिग्नेचर्स से खर्च होता है परंतु मैं एक-एक एमपी की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट में डीएम के पास से-जहां से पैसा निकलता है जिनको पूरे का पूरा राइट है, उसको मैंटेन करने का-वहां से बगैर कमीशन के पैसा नहीं निकलता। आप कितना भी चिल्लाओं, कोई सुनता नहीं हैं । एमपी की हैसियत तो इतनी बड़ी है मगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एमपी की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं, उसके फंड को जब चाहता है, रोक देता हैं। उसमें कुछ बंधा हुआ कमीशन है, चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया है कि उसका कमीशन है और वह कमीशन लिए बगैर निकलता ही नहीं है। इस प्रकार यहां बैठने के बाद, इस हाऊस में बैठने के बाद एक आदमी की हैसियत इतनी नहीं है कि वह अपने फंड को खुद मॉनिटर कर सके।

**[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]**

इस पर ध्यान देना जरूरी है। मैं एक बात और कहूंगा, हमने देखा है इस चीज़ को और मैं किसी एम.पी. के खिलाफ नही हूं,परंतु इस देश में जहां लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, वहां एक एम.पी.को दो करोड़ रूपया मिलता है और जो खर्च होता है, वह सही तरीके से खर्च नहीं होता है। इसलिए एक कमेटी बननी चाहिए ...

**श्री उपसभापति :** यह गलत है कि दो करोड़ रूपया एम.पी.को मिलता है। वह एम.पी को नहीं मिलता है, वह पैसा कलैक्टर को जाता है।

**श्री अबू आसिम आज़मी :** कलैक्टर अपने...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is only a recommendatory authority.

**श्री अबू आसिम आज़मी :** एम.पी. ही उस पूरे पैसे को मॉनीटर करता है।

**श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश)**: जिस एजेंसी को कलैक्टर देता है, वह ऐजेंसी अपना कमीशन ले लेती है। वह तो लेती ही है और कलैक्टर के यहां से भी जाता है, तो वह कटकर जाता है। वहां तब तक रिलीज़ नहीं करते हैं, जब तक कुछ न कुछ एमांउट उनको दे न दिया जाए। एक अजीब स्थिति बनी हुई है।

**श्री उपसभापति :** मैं यही कह रहा था कि एम.पी. सिर्फ रिकमंडेटरी अथॉरिटी है, वह रिकमंड करता है, पूरा काम तो कलैक्टर करता है।

**श्री अबू आसिम आज़मी :** उसका मालिक तो एम.पी. ही है। अगर मेरे सिग्नेचर्स के बगैर पैसा नही निकलता ,तो पैसा खर्च करने का मेरा ही राइट है। उसके बाद भी मैं जो चाहूं, वह नही हो सकता है,कलैक्टर जितना चाहे, उसमें से कमीशन काट ले-ऐसा हर जगह हो रहा है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। जो एम.पी. काम करवा रहा है, ऐसा तो नही है कि कागज पर काम हो रहा है। यह भी बहुत जरूरी है, बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है कि काम एक बार हो गया, दोबारा फिर पास हो गया,लेकिन कागज़ पर काम हो रहा है,जगह पर बिलकुल काम नही हो रहा है। इसका मिसयूज भी हो रहा है। एक बेचारा शरीफ आदमी है, वह तो अपनी जिंदगी दिए हुए है, सुबह से शाम तक काम कर रहा है,उसका खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है और एक आदमी भ्रष्टाचार करके पैसे बरबाद किए जा रहे हैं, उसको चैक करना भी बहुत जरूरी है।

अभी दूसरी बात प्रोटोकॉल की है। मैं आपको अपनी बात बताऊं। मैं अभी बाहर से आया। मेर साथ मेरी फैमिली थी और मेरे साथ दो दोस्त थे, उनकी फैमिलीज़ भी थी। इमिग्रेशन कांउटर पर मैंने पासपोर्ट जाकर दिए, तो अफसर ने कहा कि आपने इतने सारे पासपोर्ट कैसे दे दिएं ? मैंने कहा कि मैं एम.पी हूं,तो बोले कि क्या हो गया कि आप एम.पी. हो ? जाइए, लाइन में लग जाइए। उसने बहुत मुश्किल से मेरा एक पासपोर्ट क्लीयर किया और बाकी पासपोर्ट उठाकर दूसरी टेबल पर रख दिए। मैंने कम्पलेंट भी की, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। ऐसी चीजें हो रही है ।एक एम.पी.की हैसियत, उसको जो प्रोटोकॉल मिला है, उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। राज्य सभा का एम.पी. पूरे देश में अगर कहीं जाता है,वहां के डी.एम., वहां के एस.पी.को बुलवाकर बात करना चाहता है, तो अगर उसकी पार्टी वहां सत्ता में हैं, तब तो जरूर लोग आत हैं,लेकिन अगर उसकी पार्टी की सत्ता नही हैं, तो उसको बिल्कुल avoid किया जाता है। यह होना चाहिए कि अगर राज्य सभा का एम.पी. पूरे देश में कहीं जा रहा है और वहां के अधिकारियों को बुलवाकर बात करना चाहता है, तो अधिकारी को फुर्सत निकालकर उससे मिलना चाहिए और उसकी बातों को सुनना चाहिए, यह होना बहुत जरूरी है।

महोदय, मैं इस बात को भी महसूस कर रहा हूं कि एक कमेटी बननी चाहिए जो सारे एम.पीज.से डायलॉग करें, डिसकशन करे और एक रिज़ल्ट पर आए कि एम.पीज़ की डेथ के बाद उनकी फैमिलीज़ को क्या पेंशन मिलनी चाहिए। उसका जो रख-रखाव था, उसक मरने के बाद वह ऐसा न हो जाए कि एक समय तो वह एम.पी था और उसके मरने के बाद उसके बीवी-बच्चों को कोई पूछने वाला न हो। मैं इस बिल की पूरी हिमायत करता हूं , लेकिन बहुत जल्द इस पर कोई डिसीज़न भी हो जाए, यह उम्मीद भी करता हूं,धन्यवाद।

**شری ابو عاصم اعظمی ''اتر پردیش" :** شکریہ واس چیئر مین صاحب، آپ نے مجھے اس پر بولنے کا موقع دیا- سب سے پہلے تو میں للت سوری جی کا بہت شکریہ کرتا ہوں- جیسے ہمارے پہلے ساتھیوں نے کہا ہے حالانکہ للت سوری جی کو تو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے اس بات کو محسوس کیا- میں ابھی سوچ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، سرکار کی طرف سے ایم.پی. کو 15 لاکھ روپے خرچ کرنے کا رائٹ دیا ہوا ہے، لیکن اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر لوگ سوچیں کہ ایم.پی. الیکشن میں کتنا خرچ کرنا ہوتا ہے تو وہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج زیادہ تر لوگ، ہائی فائی الیکشن کروڑ روپے خرچ کرکے لڑتے ہیں- اگر 15 لاکھ ہی مان لیا جائے تو پانچ سال میں ایک مہینے کے تقریبا 25 ہزار روپے ہوتے ہیں- ایک آدمی الیکشن لڑتا ہے، 15 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، پانچ سال ایم.پی. رہتا ہے اور پانچ سال ایم.پی. رہنے کے بعد اسے جو تنخواہ ملتی ہے، اگر اس پوری تنخواہ کو جمع کرکے بھی وہ الیکشن لڑنے جائے تو شاید وہ الیکشن نہیں لڑسکتا- اس لئے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو پورا کا پورا راجنیتی کے لئے ڈیووٹ کردیتا ہے، اپنا پورا سمے راجنیتی میں دے دیتا ہے اوراس کے بعد، راجنیتی میں آنے کے بعد وہ ایم.پی. بن جاتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے، سرکار کی طرف سے اسے ہوائی جہاز کا کرایہ ملتا ہے، ایکزیکیٹو کلاس کا، ٹرین کا کرایہ ملتا ہے، فرسٹ کلاس کا، تو کیا وہ آدمی جب جاکر ائر پورٹ پر اترے گا یا پیدل جائے گا یا سائیکل پر جائے گا؟ اسے اسی اسٹیٹس سے جانا پڑے گا جس اسٹیٹس سے سرکار نے اس کو ایگزیکیوٹو کلاس کا ٹکٹ دیا ہے- اس پرکار اس کا اسٹینڈر بڑھ جاتا ہے، اس کو فائیو اسٹار ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے- میں یہ محسوس کررہا ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا بھی ہو□- حالانکہ میں تو بزنس مین ہوں لیکن میں جب اپنا خرچ جوڑتا ہوں تو میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ ملتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے- صبح سے شام تک جتنے لوگ ملتے آتے ہیں، اگر آپ ان کو چائے نہیں پلائیں گے تو کیا آپ کی حیثیت ہوگی، آپ ایم.پی. بن گئے ہیں- اتنے زیادہ شادی کے انوٹیشن شادی کے آتے ہیں کہ روزانہ آپ کو شادی میں جانا ہوتا ہے- وہ آدمی اگر بزنس نہیں کررہا ہے، صرف راجنیتی کررہا ہے تو لفافے میں دوسو، تین سو روپے رکھ کر اس کو دینے پڑتے ہیں، غریب لوگوں کی شادی میں جانا ہے- اس پرکار اس کا خرچ بہت بڑھ جاتا ہے- اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم.پی.، جو 103 کروڑ لوگوں میں سے، 543 اور 250 چن کر آتے ہیں، یہ اس دیش کو ریپریزینٹ کرتے ہیں، ان کی حیثیت کے مطابق ان کو پوری سویدھائیں ملنی چاہئیں اور کم سے کم ایک انکی کانسٹی ٹیونسی میں اور ایک دہلی میں پورے فل فلیج آفس کا پردھان سرکار کو

†Transliteration in Urdu Script.

کرنا بہت ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے جس بات کو میں محسوس کررہا ہوں- ایک چیز اور ہے کہ ایم.پی. کو ایم.پی.فنڈ ملتا ہے اور کروڑوں روپیہ اس کے سائن سے خرچ ہوتا ہے لیکن میں ایک ایک ایم.پی. کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیپارٹمنٹ میں، ڈی.ایم. کے پاس سے، جہاں سے پیسہ نکلتا ہے، جن کو پورے کا پورا رائٹ ہے، اس کو مینٹین کرنے کا، وہاں سے بغیر کمیشن کے پیسہ نہیں نکلتا- آپ کتنا بھی چلاؤ، کوئی سنتا نہیں ہے- ایم.پی. کی حیثیت تو اتنی بڑی ہے مگر ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایم.پی. کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، اس کو فنڈ کو جب چاہتا ہے، روک دیتا ہے- اس میں کچھ بندھا ہوا کمیشن ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے لیکن میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ان کا کمیشن ہے اور اس کا کمیشن لئے بغیر نکلتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے فنڈ کو خود مانیٹر کرسکے- اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے- میں ایک بات اور کہوں گا- ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو اور میں کسی ایم.پی. کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس دیش میں جہاں لوگ بے چارے بھوکے مررہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے، وہاں ایک ایم.پی. کو دو کروڑ روپیہ ملتا ہے اور جو خرچہ ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہوتا ہے- اس لئے ایک کمیٹی بننی چاہئے.....

**شری اپ سبھا پتی :** یہ غلط ہے کہ دو کروڑ روپے ایم.پی. کو ملتا ہے- وہ ایم.پی. کو نہیں ملتا ہے، وہ پیسہ کلکٹر کو جاتا ہے-

**شری ابو عاصم اعظمی :** کلکٹر اپنے.....**مداخلت**.....

**شری کلراج مشرا :** جس ایجنسی کو کلکٹر دیتا ہے، وہ ایجنسی اپنا کمیشن لے لیتی ہے- وہ تو لیتی ہی ہے اور کلکٹر کے یہاں سے بھی جاتا ہے تو وہ کٹ کر جاتا ہے- وہاں تب تک ریلیز نہیں کرتے ہیں جب تک کچھ نہ کچھ اماؤنٹ انہیں دے نہ دیا جائے- ایک عجیب استتھی بنی ہوئی ہے-

**شری اپ سبھا پتی :** میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایم.پی. صرف ریکمنڈیڑی اتھارٹی ہے، وہ ریکمنڈ کرتا ہے، پورا کام تو کلکٹر کرتا ہے-

**شری ابو عاصم اعظمی :** اس کا مالک تو ایم.پی. ہی ہے- اگر میرے سائن کے بغیر پیسہ نہیں نکلتا تو پیسہ خرچ کرنے کا میرا ہی رائٹ ہے- اس کے بعد بھی میں جو چاہوں، وہ نہیں ہوسکتا، کلکٹر جتنا چاہے اس میں سے کمیشن کاٹ لے- ایسا ہر جگہ ہورہا ہے اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے اور جو ایم.پی. کام کروارہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کاغذ پر کام ہورہا ہے- یہ

†Transliteration in Urdu Script.

بھی بہت ضروری ہے، بہت سی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ کام ایک بار ہوگیا، لیکن کاغذ پر کام ہورہا ہے- جگہ پر بالکل کام نہیں ہورہا ہے- اس کا مسیوز بھی ہورہا ہے- ایک بے چارہ شریف آدمی ہے، وہ تو بیچارہ اپنی زندگی دئے ہوئے ہے، صبح سے شام کام کررہا ہے، اس کا خرچ بھی پورا نہیں ہوپارہا ہے اور ایک آدمی بھرشٹا چار کرکے پیسے برباد کئے جارہا ہے، اس کو چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے-

ابھی دوسری بات پروٹوکال کی ہے- میں آپ کو اپنی بات بتاؤں- میں ابھی باہر سے آیا- میرے ساتھ میری فیملی تھی اور میرے ساتھ دو دوست تھے، انکی فیملیز بھی تھیں- امیگریشن کاؤنٹر پر میں نے پاسپورٹ جاکر دئے تو افسر نے کہا کہ آپ نے اتنے سارے پاسپورٹ کیسے دے دئے؟ میں نے کہا میں ایم.پی. ہوں، تو بولے کہ کیا ہوگیا کہ آپ ایم.پی. ہو؟ جائیے لائن میں لگ جائیے- اس نے بہت مشکل سے میرا ایک پاسپورٹ کلیئر کیا اور باقی پاسپورٹ اٹھا کر دوسری ٹیبل پر رکھ دئے- میں نے کمپلینٹ بھی کی، لیکن آج تک اس پر کچھ نہیں ہوا — ایسی چیزیں ہورہی ہیں- ایک ایم.پی. کی حیثیت، اس کو جو پروٹوکال ملا ہے، اسکی اور بھی سرکار کو دھیان دینا چاہئے- راجیہ سبھا کا ایم.پی. پورے دیش میں اگر کہیں جاتا ہے، وہاں کے ڈی.ایم. وہاں کے ایس.پی. کو بلا کر بات کرنا چاہتا ہے، تو اگر اس کی پارٹی وہان ستہ میں ہے، تب تو ضرور لوگ وہاں آتے ہیں، لیکن اس کی پارٹی کی ستہ نہیں ہے، تو اس کو بالکل avoid کیا جاتا ہے- یہ ہونا چاہئے کہ اگرراجیہ سبھا کا ایم.پی. پورے دیش میں کہیں جارہا ہے اور وہاں کے ادھیکاریوں کو بلا کر بات کرنا چاہتا ہے، تو ادھیکاری کو فرصت نکال کر اس سے ملنا چاہئے اور اس کی باتوں کو سننا چاہئے، یہ ہونا بہت ضروری ہے-

مہودے، میں اس بات کو بھی محسوس کررہا ہوں کہ ایک کمیٹی بننی چاہئے جو سارے ایم.پیز. سے ڈائیلاگ کرے، ڈسکشن کرے اور ایک رزلٹ پر آئے کہ ایم.پیز. کی ڈیتھ کے بعد ان کی فیملیز کو کیا پینشن ملنی چاہئے- اس کا جو رکھ رکھاؤ تھا، اس کے مرنے کے بعد وہ ایسا نہ ہوجائے کہ ایک سمے تو وہ ایم.پی. تھا اوراس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو- میں اس بل کی پوری حمایت کرتا ہوں، لیکن بہت جلد اس پر کوئی ڈسیزن بھی ہوجائے، یہ امید بھی کرتا ہوں- دھنیواد-

"''ختم شد

†Transliteration in Urdu Script.

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, I will be very brief since I have Dr. M.S. Gill and Shri Rajeev Shukla waiting to speak after me.

The only reason why I want to speak, Sir, is because this is the only occasion I get to express an independent point of view as opposed to the whip that I get from the Chief Whip to say the party position.

Sir, I stand to oppose this Bill because I think this Bill is wrong the way it is substantively structured and it is wrong the way it is going to be managed. And I tell you why. First and foremost, At a time when the Government is talking about a pension crisis—the Central Government spend Rs. 27,000 crores on its pensions and the state Governments spends another Rs. 38,000 crores on their pensions—and we are thinking of how we can manage the ballooning of the pension crisis, for the lawmakers to enact by themselves, for themselves, a pension bonanza, in my view, sends a completely wrong signal to the rest of the country.

On the one hand, we are telling the Government Servants, "Tighten your belts", and we are telling the country, "Tighten your belts", on the other, what we are doing is we are voting to ourselves a pension increase. And it is not going to stop with pension, because today you heard a lot of good ideas on improving the infrastructure, free power, free electricity, subsidised housing and so on and so forth. So, it is not going to stop at pensions. Pension is only the beginning of the bonanza and, therefore, I oppose this on this first ground that at a time when there is a pension payment crisis, at a time when there is a serious fiscal crisis for the Central Government and the State Governments, for Members of Parliaments to give themselves the right to increase their own allowances independently, I think, is wrong and it sends wrong signals.

Secondly, look at this year's Budget. I wanted to find out how much country spends on us. It is quite substantial. It is not a small sum. This year the country would spend Rs. 200 crores on 770 Members of Parliament. This Rs. 200 crores is the total amount of money that we spend on Malaria Eradication Programme. This Rs. 200 crores is the total amount of money that we spend on public health in the entire North-Eastern Region which has about 30 million people. So, this is the total amount of money that the Government is already spending only on salaries and allowances. The total expenditure on Members of Lok Sabha and

Rajya Sabha put together comes to Rs. 300 crores. Out of which, Rs. 200 crores is only on salaries and allowances of various kinds. In my view, this is a very substantial amount and an increase, at least, doubling the pension, as has been proposed by the hon. Member in his Bill, would only add to this crisis.

Thirdly, a lot of benefits that Members of Parliament get are non-monetised — whether it is in terms of housing, whether it is in terms of subsidised communication facilities, whether it is in terms of subsidised food that we get in the Central Hall, whether it is in terms of subsidised water and electricity. If you really want to move to a clean and transparent system, I would agree, you monetise everything and pay the Member of Parliament that monetary equivalent and let the Member of Parliament then pay market rates for water, market rates for electricity market rate for food, market rate for transport and for everything. But, that is not happening. What Members of Parliament and MLAs are enjoying today, is not only the benefit allowances but also the benefit of a large number of non-monetised allowances like of the type that I have mentioned of which predominantly the main benefit is housing.

What I want to say in brief is this. This is the wrong time to bring about this move. It is a wrong way to bring about this move. I quite agree with the suggestion that has been made that there must be an independent mechanism in order to evaluate, from time to time, what allowances and what benefits that Members of Parliament should get. And, I would only end by saying that, today, not only do Members of Parliament enjoy pecuniary benefits, but the non-money benefit of being a Member of Parliament is very, very substantial. The prestige value associated to being a Member of Parliament can never be measures in terms of money value. So, if you look at it from money value perspective to say that we are underpaid as compared to the UK or the USA or Germany is an unfair comparison. As I mentioned, during my intervention, the Indian Parliament works only for 78 days in a year. The UK House of Commons work for 200 days. The US Congress sits for 210 days in a year. So, if you want to have comparable pay-scales, let us also have comparable work standards. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Where is the business?

SHRI JAIRAM RAMESH: You create business.

**श्री राजीव शुक्ल :** उपसभापति जी, इस देश में एक फैशन बन गया है कि अगर संसद सदस्य को कुछ मिलता है तो उसको क्रिटिसाइज करो और...(व्यवधान)..वही काम हमारे मित्र श्री जय राम रमेंश ने किया है। क्योंकि सब यह बोल रहे थे कि यदि उल्टा बोलेंगे तो जरूर छपेगा। केवल भारत सरकार के ...(व्यवधान)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I object to this. This is not the reason why I am opposing this. This is character assassination of the worst kind by a media personality. This is completely wrong....*(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: You have given your views. He has every right to place his views. When you spoke, I did not interrupt. He has every right to speak.

**श्री उपसभापति :** बोलिए-बोलिए। हमको पांच बजे खत्म करना है। .. .(व्यवधान).. मिस्टर नारायणसामी, पांच बजे हमको खत्म करना है...(व्यवधान)... बोलिए। ....(व्यवधान)...

**श्री राम नाथ कोविन्द :** इस विषय पर, मीडिया में सबसे ज्यादा अगर फोक्स होंगे, तो केवल राजीव शुक्ल ...(व्यवधान)...

SURI: It should be open to criticism...*(Interruptions)...*

**श्री राजीव शुक्ल:** सर, ये यू.एस. कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं तो यू.एस.कांग्रेस के मैंम्बर्स को फेसिलिटीज क्या मिलती है, यह बता दें। उसे क्या-क्या फेसिलिटीज मिलती है। चार का तो थिंक टैंक उसे मिलते है, पूरा स्टाफ होता है, ऑफिस होता है। आप यहां पर तीन सौ पैंसठ दिन का काम दीजिए, हर एम.पी. यहां आकर बैठेगा। आप काम ही नहीं देते। संसद सत्र खत्म हो जाता है , एम .पी. के पास कोई काम ही नहीं है। वह रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। वह एक-एक दफतर घूमता है। उसके हाथ में न कोई पावर होती है, न कुछ होता है, न स्टाफ होता है, न ऑफिस होता है। दस-बारह हजार मिलते है। कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटर बारह हजार में मिलता है । आपको रिसर्च करने वाला कहां से मिलेगा... आपको दिया होगा, आपको मिल गया होगा या आप खुद कर लेंते होंगे। लेकिन अगर हम उनकी चाची की बात करें तो उनके पास क्या है ? इनको आप मान लेते है। अगर आप नॉन मोनिटरी बेनिफिट्स की बात कर रहें हैं, दो लाख यूनिट बिजली आप इनको दे दीजिए,बेचारी दो लाख यूनिट बिजली कहां चलाएंगी। आप काट लीजिए , उसको उसके बदले में पैसे तो मिलते नहीं है। अगर टेलीफोन पर एक लाख कॉल्स मुफ्त करते हैं तो वह उसके लिए उपयोगी है जो एक लाख कॉल्स कर रहा है। जो सिर्फ दस हजार कॉल्स कर रहा है, उसको नब्बे हजार कॉल्स का पैसा आप देते नहीं है। इन सबसे क्या फायदा है ? मैं यह कह रहा हूं कि संसद सदस्य को आप जो राय दे रहे हैं,उसमे हिप्पोक्रेट मत कीजिए। संसद में सिर्फ आठ

सौ एम.पीज. है, अगर आप दो सौ करोड़ आठ सौ एम.पीज. पर खर्च कर देंगे, तो पूरे देश का बजट इससे नहीं बच जाने वाला है । आपने रॉ का क्यों नही पूछा । एक हजार करोड़ रॉ खर्च कर रही है । उनका हर बार नॉन प्लान ऐक्सपेंडीचर में आता है । पार्लियामेंट पूछ नहीं सकती कि रॉ की एक हजार करोड़ रूपये की क्या अकाउंटेबिलिटी है । रॉ देश में क्या कर पा रही है । मैं ऐसे ऐसे दस गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन्स के बारे में बता सकता हूं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनको हजारों करोड़ रूपए मिलते है । यह एक संसद है, जो लोकतंत्र की नीवं है ..(व्यवधान)....और उसके पीछे भी एक ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति** : शुक्ल जी, मैं एक बात बता दूं कि हम अभी हाल में यूरोपियन पार्लियामेंट गए थे, मीणा जी अभी कह रहे थे कि कांस्टीटूएंसी के लोग यहां आ जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा । यूरोपियन पार्लियामेंट में यह व्यवस्था है कि हर यूरोपियन पार्लियामेंट का मैंम्बर हर साल अपनी कांस्टीटुएंसी से दो सौ लोगों, अपने वर्कर्स या अन्य लोगें को यूरोपियन पार्लियामेंट में लाए । उनके ट्रैवल का खर्च, उनके रहने का खर्च, सभी कुछ यूरोपियन पार्लियामेंट बर्दास्त करेगी। हर मैंम्बर को दो सौ आदयिमों को वहां लाकर पार्लियामेंट दिखाने की व्यवस्था है । अलग-अलग मुल्क में अलग-अलग व्यवस्था है ...(व्यवधान)...

SHRI V NARAYANASAMY: Let Jairam Ramesh go to Lok Sabha, then, he will come to know.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is telling about Rajya Sabha Members.

**श्री राजीव शुक्ल** : मान्यवर, आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा है । यहां भी एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि अगर यू.एस. कांग्रेस देखे तो हमारे यहां स्टैण्डिग कमेटी और कन्सल्टेटिव कमेटी मिलाकर तीन सौ पैंसठ दिन काम होता रहता है । इसलिए इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है । मान्यवर,हमारा प्रोटोकॉल ब्लू बुक के हिसाब से सेंक्रेटरीज और केबिनेट सेक्रेटरीज से बीच मे कहीं होता है, सेक्रेतरी गबर्न मेट आफ इडिया के लिए यह होता है कि अजर आप उनको मिलने जाते है तो वह एम.पी. को खड़े होकर रिसीव करेगा और दरवाजे तक बाहर छोड़ने जाएगा । यह बात तो आप छोड़ दीजिए । यह तो होता ही नहीं है । हमने खुद को तोड़ा है । हम खुद ज्वाइंट सेंक्रेट्री के पास जाते है, चलिए कोई बात नही है न कोई खडा होता है और नही कोई छोड़ने आता है, ये सब तो अलग बातें हैं, जो उन्होने उठाई ।लेकिन अगर हमारा वेतन उठाए तो क्या हमारा वेतन सेक्रेट्री के बराबर है, क्या ज्वांइट सेक्रेट्री के बराबर वेतन है ? भारत सरकार के क्लर्क का वेतन है । हम कितने भी हिप्पोक्रेट हो जांएं, लेकिन असलियत यह है । इससे आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो । अगर आठ सौ लोगों को आप ठीक ढंग से रखते हो, सारी सुविधांए देते हों तो इस देश में दो सौ करोड़ के खर्च से कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है । यह संसद है । संसद की अपनी गरिमा है ।

संसद सारे कानून बनाती है । अगर संसद अच्छी तरह से काम करेगी, अगर संसद के पास टाइम होगा, उनके पास ऑफिस होगा, उनके पास रिसर्च का पूरा बैक अप होगा,तो वह काम करेगा क्या आप ऐसा मानते है कि सारे सदस्य ऐसे है, जिनकी दिलचस्पी नहीं हैं । बहुत पढ़े-लिखे सदस्य है जो सब काम करना चाहते हैं ,उन्हें मौका मिलना चाहिए।गिल साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं,इन्हें क्या सुविधांए मिली हुई थी, आज एम.पी. बनने के बाद क्या सुविधाएं है । यह आप पी.सी. अलेक्जैंडर से पूछ लीजिए ।सब परेशान होंगे कि कुछ नहीं हैं । न कोई काम है, न कोई अधिकार है और न ही कोई तनख्वाह है, ऊपर से तुर्रा यह कि कोई भी निगम हो,कोई भी बोर्ड हो एम.पी. को मत रखो ।

मान्यवर, एक-दो प्वाईंट्स और है । मीणा जी ने यह बात कही कि एक आयोग बनना चाहिए या एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जरिए कुछ बोलने या बताने की जरूरत ही न हो । यह बहस क्यों होती है कि सांसदों के वेतन बढ़ाए जांए । वे प्राईस-इंडेक्स के हिसाब से चलें और अपने आप वेतन घटता –बढ़ता रहे । ऐसा एक सिस्टम या मैकेनिज्म बना देना चाहिए । इसलिए मैं इनकी बाते को सपोर्ट करता हूं । बजाय इसके कि हम यह करें कि हर दो-तीन साल में एक बिल लांए,फिर उसके बाद उस पर बहस हो, फिर विरोध करें,फिर मीडियाबाजी हो, इसके बाद आप 2,000 रूपए बढ़ा दो । इससे कोई बड़ा लाभ होने वाला नही हैं । हमें किसी ने चिट भेजी है कि आज एम.पी. की प्रति माह सैलरी 12,000 रूपए है,इतनी सैलरी तो जय राम जी का ड्राईवर और ललित सूरी का बावर्ची प्रति माह लेता है ।

महोदय,जितनी तनख्वाह एक एम.पी. को मिलती है 12,000 रूपए महीने की, उतनी तनख्वाह तो बावर्ची और ड्राईवर लेते है। आप यह देखिए कि श्री एन.जी. रंगा, 10 टर्म तक एम.पी. थे, मैं देखता था कि वे नॉर्थ एवेन्यू से यहां तक पैदल आते थे । श्री मधु लिमये जी को अगर कॉलम के 500रूपये नहीं जाते थे, तो वे दस बार फोन करते थे, वे भी पाचं टर्म तक एम.पी. रहे थे । ऐसे-ऐसे लोग है ?श्री मनमोहन सिंह जी जब इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब भी वे मारूति 800 कार से चलती थे ।

आप कैसे उंगली उठाते हैं कि एम.पी. के पास बहुत है,उन्हें यह नहीं देना चाहिए,वह नहीं देना चाहिए । एम.पी. के पास कुछ नही हैं ।हम उसी वर्ल्ड मे घूम रहे हैं , हम उसी दुनिया में खुद विश्वास करे रहे हैं और इन सब बातों पर यकीन कर रहें हैं । हम अधिकारों के लिए लड़ते नही हैं ।

मान्यवर,इसलिए एम.पी. का वेतन बढ़ना चाहिए, भत्ता बढ़ना चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, ऑफिस स्टॉफ बढ़ना चाहिए और एक्स-एमपीज के लिए जो सुविधांए की जाएं, वे बेहतर हों । जैसा कि मीणा जी ने कहा कि वे बेचारे काम भी नहीं कर सकते,किसके पास जांएगे, क्या किसी कंपनी में नौकरी करने जांएगे ? ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** यह बिल पेंशन का ही हैं ।

**श्री राजीव शुक्ला :** वरना अगर यह नहीं करना है, यही सुनना है तो हिमालय पर संसद

बनवा दीजिए, जोगी के कपड़े पहन लेंगे, वहीं बैठ कर संसद चला लेंगे और कानून बनांएगें। बाकी कुछ नहीं करेंगे।

एक सुझाव और आया था कि यदि कर्नाटक में एम.पी. को जो सुविधांए मिलती है , यदि सारे देश में वही सुविधांए एम.पीज. को दें दें तो बहुत हो जाएगा। धन्यवाद महोदय, मुझे यही कहना था।

**श्री उपसभापति :** गिल साहब, अभी पांच मिनट है । क्या आप अपनी बात कहेंगे ? अभी पांच मिनट है, आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं।

**श्री एम.एस.गिल :** उपसभापति जी, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था और जो मुझे कहना है ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** यह खत्म नही हुआ है, यह कंटिन्यू होगा। बताइए।

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I have much to say. All my friends have spoken from a long political background. I sympathise with them. As the Chief Election Commissioner of India, for long years, I thought I should write on this issue, the problems of the Members of Parliament, and the representatives of the people. Now, the time is up; I would to like speak whenever I get the time...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may continue it and when the matter comes up...

DR. M.S. GILL: No, Sir, that is not the question, I want to explain to you that it is not a question of supporting or opposing a Bill; it is a little more than that. I can speak whenever you ask me to. Now, the hon. Minister is going to make a statement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may speak up to 5 'o clock.

DR. M.S. GILL: That is only two or three minutes... *(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall have a statement by the hon. Minister now.

Further discussion on the Private Member's Bill of Shri Lalit Suri would continue on Friday, the 12th August, 2005, the next day allocated for the Private Members Legislative Business.

The hon. Member would like to continue his speech on this Bill on that day, on the 12th of August 2005.